डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिएं अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी.
बि. पू. भु./04 भोपाल-2001

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवं
एम. पी. 108/भोपाल 20

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी 2001—पौष 22, शक 1922

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2001

क्र. 495-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 5 जनवरी 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

Sitokeji

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २००१.

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, २०००.

विषय-सूची.

धाराएं :

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.....
२. परिभाषाएं.

अध्याय—दो

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् की स्थापना तथा गठन

३. परिषद् की स्थापना.
४. परिषद् का गठन.
५. सदस्यता के लिए निरर्हताएं.
६. परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की और नाम निर्देशिती की पदावधि.
७. नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य द्वारा त्यागपत्र.
८. परिषद् के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निर्योग्यताएं.
९. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.
१०. परिषद् का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष.

अध्याय—तीन

कामकाज का संचालन

११. सम्मिलन का बुलाया जाना.
१२. अध्यक्ष की विशेष सम्मिलन बुलाने की शक्तियां.
१३. सम्मिलन का स्थान.
१४. सम्मिलन की अध्यक्षता.

१५. गणपूर्ति.
१६. बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय.
१७. कार्यवाहियों के कार्यवृत्त.
१८. रिक्तियां आदि कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं बनाएंगी.
१९. सम्मिलन की कार्यवाहियों का ठीक और वैध होना.
२०. परिषद् के सदस्यों को भत्ते.
२१. सह-चिकित्सा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने की परिषद् की शक्ति.
२२. समितियां.

अध्याय—चार

परिषद् की शक्तियां और कृत्य

२३. परिषद् की शक्तियां और कृत्य.

अध्याय—पांच

सह-चिकित्सीय संस्थाएं और मान्यता

२४. कतिपय दशाओं में सह-चिकित्सीय अर्हता की मान्यता.
२५. कतिपय विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्था के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए समय.
२६. भारत के विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हता को मान्यता.
२७. उन देशों की जिनके साथ व्यतिकारिता की स्कीम है, सह-चिकित्सीय संस्था द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हता को मान्यता.
२८. कतिपय सह-चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा, जिनकी अर्हताएं, अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हता को मान्यता.
२९. पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संबंध में जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति.
३०. सह-चिकित्सीय संस्था का निरीक्षण.
३१. मान्यता का वापस लिया जाना.
३२. सह-चिकित्सीय शिक्षा का न्यूनतम स्तर.

अध्याय—छह

रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा सेवक

३३. परिषद् के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा सेवक.
३४. रजिस्ट्रार के कर्तव्य.

अध्याय—सात

परिषद् की निधि

३५. परिषद् की निधि.
३६. वे उद्देश्य जिनके लिए परिषद् की निधि उपयोजित की जाएगी.
३७. लेखे तथा संपरीक्षा.
३८. बजट.

अध्याय—आठ

रजिस्ट्रीकरण और राज्य रजिस्टर

३९. रजिस्ट्रीकरण और राज्य रजिस्टर.
४०. राज्य रजिस्टर से किसी व्यक्ति के नाम प्रविष्टि किए जाने का प्रतिषेध करने या उसमें से किसी व्यक्ति के नाम के हटाए जाने का आदेश देने की परिषद् की शक्ति.
४१. राज्य रजिस्टर में परिवर्तन.
४२. जांचों में प्रक्रिया.
४३. परिषद् के आदेश के विरुद्ध अपील.
४४. इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय व्यवसाय करने का प्रतिषेध.

अध्याय—नौ

नियम और विनियम

४५. नियम बनाने की शक्ति.
४६. विनियम बनाने की शक्ति.

अध्याय—दस

प्रकीर्ण

४७. प्रमाण-पत्र को बेईमानी से उपयोग में लाने के लिये शास्ति.
४८. परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी.
४९. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.
५०. अपराध का संज्ञान.
५१. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.

अनुसूची.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २००१.

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, २०००.

[दिनांक ५ जनवरी, २००१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १२ जनवरी, २००१ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

राज्य में सह-चिकित्सीय परिषद् की स्थापना करने और सह-चिकित्सीय व्यवसायियों द्वारा व्यवसाय करने तथा सह-चिकित्सीय शिक्षा को विनियमित करने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय—एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, २००० है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "परिषद्" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्;

(ख) "सह-चिकित्सीय" से अभिप्रेत है सह-चिकित्सीय विषय में अर्हित कोई भी कार्मिक और जो—

(एक) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १०२) की धारा २ के खण्ड (एक) के अर्थ के अन्तर्गत चिकित्सा; या

(दो) मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, १९७६ (क्रमांक १९ सन् १९७६) की धारा २ के खण्ड (घ) के अर्थ के अंतर्गत होम्योपैथी तथा जीव रसायन में चिकित्सा; या

(तीन) मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) की धारा २ के खण्ड (ख), (ङ) तथा (ठ) के अर्थ के अन्तर्गत क्रमशः आयुर्वेदिक पद्धति की चिकित्सा, प्राकृतिक-चिकित्सा तथा यूनानी पद्धति की चिकित्सा;

के अध्यापन तथा व्यवसाय में सहायता करते हों;

(ग) "सह-चिकित्सीय विषय" से अभिप्रेत है अनुसूची में वर्णित विषय;

(घ) "मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता" से अभिप्रेत है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा किसी सह-चिकित्सीय विषय में दी गई कोई उपाधि, पत्रोपाधि या प्रमाणपत्र;

(ङ) "रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति;

(च) "राज्य रजिस्टर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रखा गया रजिस्टर तथा अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रीकृत" और "रजिस्ट्रीकरण" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा.

अध्याय—दो
मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् की स्थापना तथा गठन

परिषद् की स्थापना.

३. (१) राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, सह-चिकित्सीय परिषद् की स्थापना करेगी.

(२) परिषद्, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् के नाम से एक निगमित निकाय होगी और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित एवं धारण करने की और इस अधिनियम के अधीन किये गये उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अपने द्वारा धारण की गई किसी भी सम्पत्ति को अंतरित करने तथा संविदा करने और उसके गठन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति प्राप्त होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी तथा उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

परिषद् का गठन.

४. (१) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

क—पदेन सदस्य

(एक) मंत्री, चिकित्सा शिक्षा.

(दो) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश.

(तीन) संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश.

(चार) संचालक, देशी चिकित्सा पद्धति, मध्यप्रदेश.

(पांच) व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती, जो निर्यन्त्रक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो.

ख—नामनिर्दिष्ट सदस्य

(छः) राज्य या स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालय का एक संकायाध्यक्ष.

(सात) राज्य या स्वायत्त आयुर्वेदिक महाविद्यालय का एक प्राचार्य.

(आठ) शासकीय या स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालय का अस्थिरोग का एक प्राध्यापक या स्वायत्त भौतिक चिकित्सा महाविद्यालय का प्राचार्य.

(नौ) राज्य या स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालय, जिसमें सह-चिकित्सीय विषय में पाठ्यक्रम चलाया जाता है, का एक प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष.

(दस) राज्य या स्वायत्त आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या यूनानी महाविद्यालय, जिसमें सह-चिकित्सीय विषय चलाया जाता है, का एक प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष.

ग—निर्वाचित सदस्य

(ग्यारह) रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायियों द्वारा ऐसी रीति में, जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए, अपने में से निर्वाचित किए जाने वाले पांच सदस्य :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम बार परिषद् का गठन होने की दशा में इस प्रवर्ग के अन्तर्गत सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के खण्ड (छह) से (दस) के अधीन सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(३) कोई भी व्यक्ति एक समय में सदस्य के रूप में एक से अधिक पदावधि के लिए नहीं होगा.

(४) उपधारा (१) के अधीन पदेन, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किये गये सदस्यों का नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा.

५. कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा, यदि — सदस्यता के लिए अर्हताएं.

(क) वह भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) वह विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे इस प्रकार घोषित कर दिया गया है; या

(घ) वह नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया गया है; या

(ङ) वह परिषद् का कर्मचारी है और उसे वेतन या मानदेय द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है; या

(च) उसका नाम तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन राज्य रजिस्टर में से या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या सह-चिकित्सीय व्यवसायी के रजिस्टर से हटा दिया गया हो.

६. (१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निर्वाचित सदस्य परिषद् के प्रथम सम्मेलन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेंगे : — परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की और उन निर्वाचित सदस्यों की पदावधि.

परन्तु धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ग्यारह)के परन्तुक के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, निर्वाचित सदस्यों के अपने पद ग्रहण करने तक, पद धारण करेंगे और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (छह) से (दस) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की अनवसित अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे.

(२) व्यवसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष का नामनिर्देशिती पूर्वोक्त अध्यक्ष के प्रसादपर्यन्त परिषद् के सदस्य का पद धारण करेगा.

(३) उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि का अवसान होते हुए भी, पद छोड़ने वाला सदस्य, अपने उत्तरवर्ती के, यथास्थिति, नामनिर्देशन या निर्वाचन होने तक पद पर बना रहेगा.

७. परिषद् का नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य किसी भी समय अपने पद से, ऐसी रीति में जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए, त्यागपत्र दे सकेगा. — नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य द्वारा त्यागपत्र.

८. (१) यदि परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपनी पदावधि की कालावधि के दौरान— — परिषद् के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हताएं.

(क) परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों से परिषद् की अनुमति के बिना स्वयं अनुपस्थित रहता है; या

(ख) लगातार बारह मास से अधिक की कालावधि के लिये भारत से बाहर होने से अनुपस्थित रहता है; या

(ग) धारा ५ में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है; या

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायी नहीं रहता है,

तो परिषद् उसका पद रिक्त घोषित करेगी :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(२) यदि परिषद् के किसी नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य ऐसी घोषणा की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राज्य को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

रिक्तियों का भरा जाना.

९. यदि परिषद् के किसी नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हो जाए या वह पद त्याग दे या वह किसी अन्य कारण से वह चाहे जो हो सदस्य न रहे, तो रिक्ति, यथाशक्यशीघ्र यथास्थिति, नामनिर्देशन या निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अनवसित अवधि तक पद धारण करेगा.

् का अध्यक्ष उपाध्यक्ष.

१०. (१) मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा.

(२) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश परिषद् का पदेन उपाध्यक्ष होगा.

(३) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम या उसके अधीन विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

अध्याय—तीन
कामकाज का संचालन

सम्मिलन का बुलाया जाना.

११. (१) परिषद् का अध्यक्ष सम्मिलन बुलाएगा और प्रत्येक सम्मिलन की तारीख नियत करेगा.

(२) परिषद् का सम्मिलन या तो साधारण या विशेष होगा.

(३) प्रत्येक सम्मिलन की सूचना, उसमें उसका समय तथा स्थान और सम्मिलन में किये जाने वाले कामकाज को विनिर्दिष्ट करते हुए, साधारण सम्मिलन के ठीक पन्द्रह दिन पूर्व और किसी विशेष सम्मिलन के ठीक सात दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को प्रेषित की जाएगी.

(४) सम्मिलन में उससे संबंधित सूचना में विनिर्दिष्ट कामकाज से भिन्न कोई भी कामकाज, आसन्दी की अनुज्ञा के सिवाय नहीं किया जाएगा.

अध्यक्ष की विशेष सम्मिलन बुलाने की शक्तियां.

१२. अध्यक्ष, जब कभी वह उचित समझे, विशेष सम्मिलन बुला सकेगा और परिषद् के कम से कम सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अभ्यपेक्षा की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर ऐसा करने के लिए बाध्य होगा.

सम्मिलन का स्थगन.

१३. (१) परिषद् का कोई सम्मिलन, परिषद् के उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से, समय-समय पर, उसी दिन बाद के समय तक या किसी अन्य तारीख तक के लिए स्थगित किया जा सकेगा किन्तु स्थगित सम्मिलन में छोड़े गये कामकाज से भिन्न कोई भी कामकाज ऐसे सम्मिलन में नहीं किया जाएगा.

(२) परिषद् के कार्यालय में या उस सम्मिलन स्थान पर जिसमें सम्मिलन को उस दिन स्थगित किया गया है चिपकाई गई स्थगन की सूचना, ठीक आगामी सम्मिलन की पर्याप्त सूचना समझी जाएगी.

सम्मिलन की अध्यक्षता.

१४. परिषद् का अध्यक्ष सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा. यदि परिषद् का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी. यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे.

गणपूर्ति.

१५. (१) परिषद् के सम्मिलन के लिये गणपूर्ति, परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी.

(२) यदि किसी समय सम्मिलन में गणपूर्ति नहीं है तो पीठासीन प्राधिकारी उसे ऐसे समय या ऐसी तारीख तक के लिए, जो वह उचित समझे, स्थगित करेगा और ऐसी घोषणा तत्काल करेगा और सम्मिलन के लिये रखे गये कामकाज को पश्चात्वर्ती सम्मिलन पर अग्रनीत करेगा चाहे ऐसे सम्मिलन में गणपूर्ति हो या न हो.

(३) सम्मिलन के लिये नियत किये गये कामकाज से भिन्न कोई भी कामकाज पश्चात्वर्ती सम्मिलनों में नहीं किया जाएगा.

(४) परिषद् के कार्यालय में या सम्मिलन के स्थान पर उस दिन जिसको सम्मिलन स्थगित किया जाए चिपकाई गई स्थगन की ऐसी सूचना पश्चातवर्ती सम्मिलन की पर्याप्त सूचना समझी जाएगी.

बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय.

१६. इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, परिषद् के सम्मिलन के समक्ष लाए गए सभी प्रश्न, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले पीठासीन प्राधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा.

कार्यवाहियों के कार्यवृत्त.

१७. (१) परिषद् के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त उस प्रयोजन के लिये रखी जाने वाली पुस्तिका में अभिलिखित किए जाएंगे. उसमें उपस्थित परिषद् के सदस्यों के नाम कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए जाएंगे और उन पर पीठासीन प्राधिकारी द्वारा, उसी या ठीक आगामी सम्मिलन में पुष्टिकरण के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे.

(२) परिषद् के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों की एक प्रति उसकी पुष्टिकरण की तारीख से सात दिन के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी.

रिक्तियां आदि कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं बनाएंगी.

१८. परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होंगी कि—

(क) परिषद् में कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के निर्वाचन या नामनिर्देशन में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है.

सम्मिलन की कार्यवाहियों का ठीक और वैध होना.

१९. जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, जब सम्मिलन के कार्यवृत्तों पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षर कर दिये गये हों, परिषद् का प्रत्येक सम्मिलन सम्यक् रूप से बुलाया गया समझा जाएगा.

परिषद् के सदस्यों को भत्ते.

२०. (१) परिषद् के सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किए जाएं :

परन्तु परिषद् के ऐसे सदस्य, जो सरकारी कर्मचारी हों, ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे.

(२) कोई भी सदस्य उपधारा (१) में यथा विनिर्दिष्ट किए गए संदाय से भिन्न किसी भी संदाय का हकदार नहीं होगा.

सह-चिकित्सा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने की परिषद् की शक्ति.

२१. (१) परिषद् यदि यह आवश्यक समझे, अपने सम्मिलन में सह-चिकित्सा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी विषय पर उसके विचारों को सुनने के लिये आमंत्रित कर सकेगी. ऐसे व्यक्ति को विषय पर चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु परिषद् के सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा.

(२) आमंत्रिती ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसे कि धारा २० में यथा विनिर्दिष्ट हों.

समितियां.

२२. (१) परिषद्, समय-समय पर, और ऐसी कालावधि के लिए, अपने सदस्यों की ऐसी संख्या को मिलाकर जैसी कि वह उचित समझे, समिति नियुक्त कर सकेगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी विषय को उस पर जांच और रिपोर्ट करने के लिए या राय प्राप्त करने के लिये समिति को निर्दिष्ट कर सकेगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रत्येक समिति अपने प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष चुने जाने हेतु अपने सदस्यों में से एक सदस्य का चयन करेगी.

(३) ऐसी समिति की नियुक्ति का ढंग (प्रकार), ऐसी समिति के सम्मिलनों का बुलाया जाना और उनका आयोजन किया जाना तथा ऐसी समिति के कामकाज का संचालन ऐसा होगा जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

अध्याय—चार

परिषद् की शक्तियां और कृत्य.

परिषद् की शक्तियां और कृत्य.

२३. (१) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिषद् ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) सह-चिकित्सीय व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर बनाए रखना ;

(ख) रजिस्ट्रार के किसी भी विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों की, ऐसी रीति में जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए, सुनवाई करना और उनका विनिश्चित करना ;

(ग) रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायियों के वृत्तिक आचरणों को विनियमित करने के लिए नैतिक आचार संहिता विनियमों द्वारा विहित करना ;

(घ) किसी रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायी की भर्त्सना करना, राज्य रजिस्टर में से नाम निलम्बित कर देना या हटा देना, या उसके विरुद्ध ऐसी अन्य अनुशासनिक कार्रवाई करना जैसी कि परिषद् की राय में आवश्यक या समीचीन हो ;

(ङ) किसी सदस्य को परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों से उसे अनुपस्थित रहने की अनुमति देना ;

(च) नए सह-चिकित्सीय विषयों की स्थापना में नई पद्धतियों, अनुसंधान और विकास प्रोन्नत करना ;

(छ) सह-चिकित्सीय शिक्षा प्रोन्नत करने के लिये स्कीमें बनाना ;

(ज) सह-चिकित्सीय शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और जायोकेमी पद्धतियों के बीच प्रभावी संबंध प्रोन्नत करना, और इन विषयों में अनुसंधान और विकास प्रोन्नत करना ;

(झ) पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या, शारीरिक तथा अनुदेशात्मक सुविधाएं, कर्मचारिवृन्द पैटर्न, कर्मचारिवृन्द गुणवत्ता अनुदेश, निर्धारण तथा परीक्षाओं के लिए मानक और स्तर अधिकथित करना ;

(ञ) अध्यापन एवं अन्य फीस को प्रभारित करने के लिये मानक तथा मार्गदर्शक सिद्धांत नियत करना ;

(ट) शिक्षा के क्षेत्र में किसी सह-चिकित्सीय निकाय या संस्था को चार्टर प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ठ) सह-चिकित्सीय संस्थाओं और सह-चिकित्सीय शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए मार्गदर्शन करना ;

(ड) किसी सह-चिकित्सीय संस्था का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना ;

(ढ) परीक्षा संचालन करने हेतु स्तर की एकरूपता बनाये रखने के लिये बोर्ड का गठन करना ;

(ण) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं ;

(त) धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ग्यारह)के अधीन सदस्यों के निर्वाचन का संचालन.

अध्याय—पांच

सह-चिकित्सीय संस्थाएं और मान्यता

कतिपय दशाओं में सह-चिकित्सीय अर्हता की मान्यता.

२४. जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय कोई सह-चिकित्सीय संस्था स्थापित की जाती है या कोई सह-चिकित्सीय संस्था कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करती है वहां ऐसी सह-चिकित्सीय संस्था के किसी छात्र को अनुदत्त कोई भी सह-चिकित्सीय अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता नहीं होगी.

कतिपय विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्था के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए समय.

२५. यदि किसी व्यक्ति ने सह-चिकित्सीय संस्था स्थापित की है या किसी सह-चिकित्सीय संस्था ने नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ किया है या प्रवेश क्षमता में वृद्धि की है तो यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या सह-चिकित्सीय संस्था इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष की कालावधि के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करेगी.

भारत के विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हता की मान्यता.

२६. भारतीय चिकित्सा संस्था द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हताएं, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १०२) की अनुसूची में सम्मिलित है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हताएं होंगी.

उन देशों की जिनके साथ व्यतिकारिता की स्कीम है, सह-चिकित्सीय संस्था द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हता को मान्यता.

२७. (१) भारत के बाहर की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हताएं जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १०२) की अनुसूची में सम्मिलित है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हताएं होंगी.

(२) राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश देते हुए अनुसूची को संशोधित कर सकेगी कि उसमें किसी सह-चिकित्सीय अर्हता के संबंध में यह घोषित करते हुए एक प्रविष्टि की जाएगी कि वह मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता तभी होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व अनुदत्त की जाए.

(३) जहां परिषद् ने ऐसी किसी सह-चिकित्सीय अर्हता की सिफारिश करने से इंकार कर दिया है, जिसकी मान्यता के लिए प्रस्ताव उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया है, और वह प्राधिकारी इस निमित्त

राज्य सरकार से आवेदन करता है, वहां राज्य सरकार ऐसे आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और ऐसे किसी इन्कार के कारणों के बारे में रिपोर्ट, यदि कोई हो, परिषद् से प्राप्त करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि उसमें ऐसी अर्हता सम्मिलित हो जाए, और ऐसी अधिसूचना को उपधारा (२) के उपबंध लागू होंगे.

सह-चिकित्सीय संस्थाओं का, जिनकी अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, प्रदान सह-चिकित्सीय अर्हताको करना.

२८. भारत में की ऐसी कोई सह-चिकित्सीय संस्था, जो अपने द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हता को अनुसूची में सम्मिलित करना चाहती है, ऐसी अर्हता की मान्यता के लिए राज्य सरकार को, ऐसे आवेदन फीस के साथ जैसा कि विनियम द्वारा नियत किया जाए, आवेदन कर सकेगी, और राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का इस प्रकार संशोधन कर सकेगी कि उसमें ऐसी अर्हता सम्मिलित हो जाए, और ऐसी किसी अधिसूचना में यह भी निदेश दिया जा सकेगा कि अनुसूची के अंतिम स्तम्भ में ऐसी सह-चिकित्सीय अर्हता के सामने यह घोषित करते हुए एक प्रविष्टि की जाएगी कि वह मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता तभी होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त की जाए.

पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संबंध में जानकारी देने की शक्ति.

२९. भारत में का प्रत्येक विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था, जो मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता देती है, ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिए पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और दी जाने वाली परीक्षाओं के बारे में, उस आयु के बारे में, जिसमें ऐसे पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना और परीक्षाओं का दिया जाना है, और ऐसी अर्हता का प्रदान किया जाना अपेक्षित है, और साधारणतया ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिए अपेक्षाओं के बारे में ऐसी जानकारी देगी जिसकी परिषद्, समय-समय पर, अपेक्षा करे.

सह-चिकित्सीय संस्थाओं का निरीक्षण.

३०. परिषद् जब भी आवश्यक समझे सभी सह-चिकित्सीय संस्थाओं का निरीक्षण करवा सकेगी.

मान्यता का वापस लिया जाना.

३१. (१) यदि परिषद् को यह प्रतीत होता है कि—

(क) किसी विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता ; या

(ख) ऐसे विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था में या उन विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या अन्य संस्था में कर्मचारिवृन्द, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण तथा उसमें दिए जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं परिषद् द्वारा विहित स्तरों के अनुरूप नहीं हैं तब परिषद् मान्यता की वापसी के लिए कार्रवाई करेगी.

(२) मान्यता वापस लिए जाने से पूर्व परिषद् सह-चिकित्सीय संस्था या विश्वविद्यालय को, वह कालावधि विनिर्दिष्ट करते हुए कारण बताओ सूचना जारी करेगी जिसके भीतर जवाब प्रस्तुत किया जाना है.

(३) जवाब की प्राप्ति पर, या जहां कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कोई जवाब प्रस्तुत न किया जाए, वहां उस कालावधि का अवसान होने पर परिषद् मामले में विनिश्चय करेगी.

सह-चिकित्सीय शिक्षा का न्यूनतम स्तर.

३२. परिषद्, भारत के विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था द्वारा (स्नातकोत्तर सह-चिकित्सीय अर्हताओं से भिन्न) मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित सह-चिकित्सीय शिक्षा के न्यूनतम स्तर विहित कर सकेगी.

अध्याय—छह

रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा सेवक

परिषद् के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा सेवक.

३३. (१) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी जो परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा.

(२) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों को नियोजित कर सकेगी जिन्हें वह इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे.

(३) रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की अर्हताएं, सेवा की शर्तें और वेतनमान ऐसे होंगे जैसे कि परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियमों द्वारा अवधारित करे.

(४) परिषद्, रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी से अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा करेगी और लेगी जैसी कि परिषद् आवश्यक समझे.

(५) परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार या कोई अन्य अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का सं. ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

रजिस्ट्रार के कर्तव्य.

३४. (१) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम और परिषद् द्वारा किये गये किसी आदेश के उपबंधों के अनुसार राज्य रजिस्टर रखे, उसे ऐसी रीति में, जैसी कि समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित की जाए, पुनरीक्षित करे, उसे राजपत्र में प्रकाशित करे और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जिनका इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन उसके द्वारा निर्वहन किये जाने के लिये उससे अपेक्षा हो या की जाए.

(२) रजिस्ट्रार यह देखेगा कि राज्य रजिस्टर यथासंभव सभी समयों पर सही है और वह समय-समय पर उसमें रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सा व्यवसायियों के पते या उनकी अर्हताओं में हुए किसी सारवान परिवर्तन को प्रविष्ट कर सकेगा.

(३) रजिस्ट्रार, राज्य रजिस्टर में से रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सा व्यवसायी का नाम हटा सकेगा जिसकी मृत्यु हो गई हो या जिसका नाम राज्य रजिस्टर में से हटाए जाने के लिये उसे निदेशित किया गया हो या जो सह-चिकित्सा व्यवसायी नहीं रह गया हो.

(४) व्यवसायी से सूचना प्राप्त होने पर यदि परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि व्यवसायी ने व्यवसाय करना बन्द नहीं किया है तो परिषद् रजिस्ट्रार को निदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर में पुनः स्थापित करे और रजिस्ट्रार ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा.

अध्याय—सात
परिषद् की निधि

परिषद् की निधि.

३५. (१) परिषद् एक निधि स्थापित करेगी जो परिषद् की निधि कहलाएगी.

(२) निम्नलिखित परिषद् की निधि के भाग रूप होंगे या उनका उसमें संदाय किया जाएगा :—

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा कोई अभिदाय या अनुदान ;

(ख) फीस और जुर्मानों से हुई आय को सम्मिलित करते हुए, परिषद् की समस्त स्त्रोतों से आय;

(ग) न्यास, संदान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हो;

(घ) परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त अन्य धनराशियां.

उद्देश्य जिनके लिए परिषद् की निधि उपयोजित की जाएगी.

३६. परिषद् की निधि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोज्य होगी, अर्थात् :—

(क) उन ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए जो परिषद् द्वारा इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए उपगत किए गए हों ;

(ख) किसी ऐसे वाद या किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों के व्ययों के लिए जिनमें परिषद् एक पक्षकार हो ;

(ग) परिषद् के अधिकारियों और सेवकों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिए ;

(घ) परिषद् के पदाधिकारियों (आफिस वियरर्स) को भत्तों के संदाय के लिए ;

(ङ) किन्हीं ऐसे व्ययों के संदाय के लिए जो इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में परिषद् द्वारा उपगत किए गए हों ;

(च) सह-चिकित्सा वृत्ति के सामान्य हित में परिषद् द्वारा वांछित सह-चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के उन्नयन और विकास के लिए उपगत अन्य व्यय.

लेखा संपरीक्षा.

३७. (१) परिषद् के लेखाओं को ऐसी तारीख के पूर्व तथा ऐसे अंतरालों पर और ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, तैयार किया जाएगा.

(२) परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की जाएगी. चार्टर्ड एकाउन्टेंट की संपरीक्षा फीस परिषद् द्वारा समय-समय पर उनके विनियमों के अनुसार नियत की जाएगी.

(३) जैसे ही परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा हो जाए, परिषद् उनकी प्रतिलिपि उस पर संचालक चिकित्सा शिक्षा की रिपोर्ट की प्रतिलिपि के साथ, राज्य सरकार को ऐसी रीति में भेजेगी जो कि विहित की जाए.

बजट.

३८. (१) रजिस्ट्रार ऐसे प्ररूप में, जो कि विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में बजट तैयार करवाएगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां तथा व्यय दर्शाये जाएंगे और उसे परिषद् के समक्ष ऐसे समय पर, तथा ऐसी रीति में रखवाएगा जैसी कि विहित की जाए.

(२) उस सम्मिलन की, जिसमें बजट पारित किया गया हो, तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर बजट राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा.

(३) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि उसको इस प्रकार अग्रेषित किये गये बजट के प्रावधान इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं, तो वह बजट को, उसमें ऐसे उपान्तरण करने के लिये, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा सुझाए जाएं, परिषद् को वापस कर देगी.

(४) परिषद्, इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह ऐसी रकमों का, जो कि आवश्यक हों, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में और ऐसे शीर्षों या गौण शीर्षों के अंतर्गत पुनर्विनियोग करे.

(५) परिषद् जैसा और जब अपेक्षित हो, अनुपूरक बजट, ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख तक, जोकि विहित की जाए, पारित कर सकेगी और उपधारा (२), (३) तथा (४) के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक बजट को लागू होंगे.

अध्याय --आठ

रजिस्ट्रीकरण और राज्य रजिस्टर

३९. (१) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो मान्यता प्राप्त अर्हता रखता है, रजिस्ट्रार को ऐसी अर्हता के संबंध में आवेदन करने और पांच सौ रुपये से अनधिक ऐसी फीस का संदाय करने पर जो कि विहित की जाए, राज्य रजिस्टर में नामांकन के लिए पात्र होगा और भिन्न-भिन्न अर्हताओं के लिए भिन्न भिन्न फीस विहित की जा सकेगी.

(२) परिषद्, सह-चिकित्सा व्यवसायियों का एक राज्य रजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखवाएगी जैसा कि विनियमन द्वारा विहित किया जाए.

(३) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों तथा परिषद् द्वारा किए गए किसी विनियमन के अनुसार राज्य रजिस्टर रखे और उसे बनाए रखे और समय-समय पर रजिस्टर को ऐसी अन्य रीति में पुनरीक्षित करे और राजपत्र में प्रकाशित करवाये जैसी कि विहित की जाए.

(४) ऐसा रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का संख्यांक १) के अर्थ के अन्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जाएगा.

४०. परिषद्, रजिस्ट्रार से निर्देश प्राप्त होने पर या अन्यथा आदेश द्वारा रजिस्टर में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रविष्ट किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगी या उस रजिस्टर में से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हटाए जाने का आदेश दे सकेगी,—

(क) जिसे किसी दण्ड न्यायालय ने किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया है जो परिषद् की राय में उसके चरित्र में कोई ऐसा दोष उपदर्शित करता हो कि जिससे राज्य रजिस्टर में उसका नामांकन किया जाना या राज्य रजिस्टर में उसके नाम का बना रहना अवांछनीय हो जाए ; या

(ख) जिसे परिषद् ने, जांच के पश्चात् परिषद् के सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा, किसी वृत्तिक प्रसंग में गर्हित आचरण का दोषी पाया हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा.

४१. (१) परिषद्, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने और उसके आक्षेपों की, यदि कोई हों, जांच करने के पश्चात्, यह आदेश दे सकेगी कि राज्य रजिस्टर में की कोई ऐसी प्रविष्टि, जो परिषद् की राय में, कपटपूर्वक या गलती से की गई है, या करवा दी गई है, रद्द कर दी जाए या संशोधित की जाए.

(२) परिषद् किसी रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सा व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर में से सदैव के लिए या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए हटाए जाने का निदेश उन्हीं कारणों से दे सकेगी जिनके आधार पर परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकरण की धारा ४० के अधीन प्रतिषेध किया जा सकता है.

(३) परिषद् यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (२) के अधीन हटाया गया नाम, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जिन्हें परिषद् अधिरोपित करना उचित समझे, अध्यधीन रहते हुए, पुनः स्थापित किया जाए.

४२. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए, परिषद् या धारा २२की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त कोई समिति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का सं. १) और सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का सं. ५) के अर्थ के अंतर्गत न्यायालय समझी जाएगी, और वह लोक सेवक (जांच) अधिनियम,

१८५० (१८५० का सं. ३७)के अधीन नियुक्त आयुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी, और ऐसी जांचें यथाशक्य लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १८५० (१८५० का सं. ३७) की धारा ५तथा धारा ८से २० तक के उपबंधों के अनुसार संचालित की जाएंगी.

परिषद् के आदेश के विरुद्ध अपील.

४३. ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(१) जिसका राज्य रजिस्टर में नामांकन के लिये आवेदन धारा ३९ या ४१ के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो ; या

(२) जिसके नाम की प्रविष्टि राज्य रजिस्टर में धारा ४० के अधीन प्रतिषिद्ध कर दी गई हो ; या

(३) जिसका नाम राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो यथास्थिति, इस प्रकार नामंजूर किये जाने, प्रतिषेध किये जाने या हटाए जाने के आदेश के नब्बे दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा.

इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय व्यवसाय करने का प्रतिषेध.

४४. (१) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर सह-चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा अथवा स्वयं को, व्यक्तिगत लाभ के लिए, चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इस रूप में व्यपदेशित नहीं करेगा कि वह अभ्यासतः सह-चिकित्सा व्यवसाय करता है.

(२) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, या कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा.

अध्याय—नौ
नियम और विनियम

नियम बनाने की शक्ति.

४५. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

विनियम बनाने की शक्ति.

४६. परिषद्, साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, विनियम, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से और धारा ४५ के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए बना सकेगी, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे :—

(क) परिषद् की संपत्ति का प्रबंध तथा उसके लेखाओं का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा ;

(ख) धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (दस) के अधीन सह-चिकित्सा व्यवसायियों में से पांच सदस्यों के निर्वाचन की रीति ;

(ग) परिषद् के नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्यागपत्र ;

(घ) सभापति और उप सभापति की शक्तियां तथा कर्तव्य ;

(ङ) समितियों की नियुक्ति का ढंग, ऐसी समितियों के सम्मिलनों का बुलाया जाना और उनका आयोजित किया जाना तथा ऐसी समितियों के कामकाज का संचालन ;

(च) धारा २० की उपधारा (१) के अधीन परिषद् के सदस्यों को देय यात्रा तथा अन्य भत्ते ;

(छ) (एक) धारा २३ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रार के विनिश्चय के कारण पर अपीलों को सुनने और उन्हें विनिश्चित करने की रीति ;

(दो) धारा २३ की उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अधीन वृत्तिक आचरण को विनियमित करने के लिये नीति विषयक संहिता ;

(ज) धारा ३३ की उपधारा (३) के अधीन रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की अर्हताएं, सेवा की शर्तें और वेतनमान ;

(झ) धारा ३४ की उपधारा (१) के अधीन राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण की रीति;

(ञ) धारा ३९ की उपधारा (१) के अधीन राज्य रजिस्टर का प्ररूप ;

(ट) कोई भी अन्य विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किया जा सकता हो.

(२) राज्य सरकार, मंजूरी के लिए विनियम प्राप्त होने पर उन्हें या तो ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए, जैसे कि वह उचित समझे, मंजूर कर सकेगी या उन्हें पुनर्विचार के लिए परिषद् को लौटा सकेगी.

(३) समस्त विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे.

(४) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी विनियम को रद्द कर सकेगी.

अध्याय—दस
प्रकीर्ण

४७. कोई भी व्यक्ति जो— प्रमाण-पत्र को बेईमानी से उपयोग में लाने के लिये शास्ति.

(क) इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का बेईमानी से उपयोग करता है ; या

(ख) किसी मिथ्या या कपटपूर्ण घोषणा, प्रमाण-पत्र या व्यपदेशन को, चाहे वह लिखित में हो या अन्यथा, करके या पेश करके अथवा कराकर या पेश कराकर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है ; या

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र से संबंधित किसी विषय में कोई भी मिथ्या व्यपदेशन जानबूझकर करता है या करवाता है, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा.

४८. परिषद् ऐसी रिपोर्ट, अपने ऐसे कार्यवृत्तों की प्रतिलिपियां, अपने ऐसे लेखाओं की संक्षिप्तियां (एक्सट्रेक्ट्स) तथा ऐसी अन्य जानकारी राज्य सरकार को देगी जो राज्य सरकार अपेक्षित करे. परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी.

४९. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि उसमें पहले विनिर्दिष्ट न किया गया कोई विषय सम्मिलित किया जा सके या उसमें से किसी विषय का लोप किया जा सके या किसी विषय के विवरण को उपान्तरित किया जा सके. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.

राधों का संज्ञान.

५०. (१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो कि इस निमित्त परिषद् द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, लिखित में किए गए परिवाद पर ही संज्ञान करेगा अन्यथा नहीं.

(२) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

य सरकार द्वारा ाण.

५१. यदि राज्य सरकार को, किसी भी समय, यह प्रतीत होता है कि परिषद्, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में असफल रही है या उसने उनका अतिरेक या दुरूपयोग किया है या वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों में से किसी कर्तव्य का पालन करने में असफल रही है तो राज्य सरकार, यदि वह यह विचार करती है कि ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरूपयोग गंभीर स्वरूप का है, उससे ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरूपयोग का, ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपचार किए जाने की अपेक्षा करते हुए, उनकी विशिष्टियां परिषद् को अधिसूचित कर सकेगी और यदि परिषद्, सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरूपयोग का उपचार करने में असफल रहती है तो राज्य सरकार परिषद् को विघटित कर सकेगी और परिषद् की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो छह वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि तक जिसे कि वह ठीक समझे, करवा सकेगी और नयी परिषद् को अस्तित्व में लाने के उपाय करेगी.

अनुसूची

[धारा २ (ग) देखिए]

(१) भौतिक चिकित्सा/व्यावसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम.

(२) वाक्‌शक्ति चिकित्सा पाठ्यक्रम.

(३) श्रव्य शास्त्रीय.

(४) प्रयोग शाला तकनीशियन (विभिन्न प्रकार के).

(५) किरण तकनीशियन/रेडियोग्राफर.

(६) बी.सी.जी. तकनीशियन.

(७) साईटो तकनीशियन.

(८) अर्थो तकनीशियन.

(९) नमूना कक्ष तकनीशियन (मोल्ड रूम टेकनीशियन).

(१०) गामा कैमरा तकनीशियन.

(११) आर्थोटिक तकनीशियन.

(१२) आपटोमेटरिस्ट.

(१३) आर्थोटिक और कॉस्मेटिक लैग्स.

(१४) ई.सी.जी. तकनीशियन.

(१५) अल्ट्रा साउन्ड.

(१६) एन्जियोग्राफी.

(१७) शल्य क्रिया कक्ष तकनीशियन.

(१८) मानव पोषण में उपाधि, पत्रोपाधि और प्रमाणपत्र.

(१९) डायलिसिस तकनीशियन.

(२०) इन्शूलेशन चिकित्सा तकनीशियन.

(२१) स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम.

(२२) अस्पताल चिकित्सा अभिलेख विज्ञान.

(२३) कंपाउंडर (एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथी).

(२४) बायोकेमी चिकित्सा पद्धति का कंपाउंडर.

(२५) शपनिक जीव रसायन (क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री)में पत्रोपाधि.

(२६) सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रोबायलाजी).

(२७) पैथोलाजी (व्याधिकी).

(२८) आपटोमेटरिक रिफरेक्शन.

(२९) सह-चिकित्सीय नेत्ररोग सहायक.

(३०) परफ्यूजनिस्ट/कार्डियक सर्जरी तकनीशियन.

(३१) केथ प्रयोगशाला तकनीशियन.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2001

क्र. 496-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT,

No. 1 OF 2001.

THE MADHYA PRADESH SAH CHIKITSIY PARISHAD ADHINIYAM, 2000.

Table of Contents

CHAPTER—I
PRELIMINARY

Sections :

1. Short title, extent and commencement.

2. Definitions.

CHAPTER—II
ESTABLISHMENT AND CONSTITUTION OF MADHYA PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL

3. Establishment of Council.

4. Constitution of Council.

5. Disqualification for membership.

6. Term of office of nominated Members of Council and nominee.

7. Resignation by nominated or elected member.

8. Disabilities for continuing as member of Council.

9. Filling of casual Vacancies.

10. President and Vice-President of Council.

CHAPTER—III
CONDUCT OF BUSINESS

11. Convening of meeting.

12. Powers of President to call special meeting.

13. Adjournment of meeting.

14. Presiding of meeting.

15. Quorum.

16. Decision of questions by majority of votes.

17. Minutes of proceedings.

18. Vacancies etc. not to invalidate proceedings.

19. Proceeding of meeting to be good and valid.

20. Allowances to members of Council.

21. Power of Council to invite any person having special knowledge or experience in paramedicine.

22. Committees.

CHAPTER—IV
POWERS AND FUNCTIONS OF COUNCIL

23. Powers and functions of Council.

CHAPTER—V
PARAMEDICAL INSTITUTIONS AND RECOGNITION

24. Recognition of Paramedical qualification in certain cases.

25. Time for seeking permission for certain existing Paramedical Institution.

26. Recognition of paramedical qualification granted by University or Paramedical Institution in India.

27. Recognition of Paramedical qualification granted by Paramedical Institution in countries with which there is a scheme of reciprocity.

28. Recognition of Paramedical qualification granted by certain Paramedical institutions whose qualification are not included in the Schedule.

29. Power to require information as to courses of study and examinations.

30. Inspection of Paramedical institution.

31. Withdrawal of recognition.

32. Minimum standards of Paramedical Education.

CHAPTER—VI
REGISTRAR AND OTHER OFFICERS AND SERVANTS

33. Registrar and other officers and servants of Council.

34. Duties of Registrar.

CHAPTER—VII
FUND OF COUNCIL

35. Fund of Council.

36. Objects to which fund of Council shall be applied.

37. Accounts and Audit.

38. Budget.

CHAPTER—VIII
REGISTRATION AND STATE REGISTER

39. Registration and State Register.
40. Power of Council to prohibit entry in, or to order removal from, State Register name of any person.
41. Alteration of State Register.
42. Procedure in inquiries.
43. Appeal against order of Council.
44. Prohibition on practice except as provided in this Act.

CHAPTER—IX
RULES AND REGULATIONS

45. Power to make rules.
46. Power to make regulations.

CHAPTER—X
MISCELLANEOUS

47. Penalty for dishonest use of certificate.
48. Information to be furnished by Council.
49. Power to amend schedule.
50. Cognizance of offence.
51. Control by State Government.

SCHEDULE

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 OF 2001.

THE MADHYA PRADESH SAH CHIKITSIY PARISHAD ADHINIYAM, 2000.

[Received the assent of the Governor on the 5th January, 2001; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" dated the 12th January 2001.]

An Act to provide for the establishment of Paramedical Council in the State and to regulate the practice by paramedical practitioners and paramedical education.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER—I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires— Definitions.

(a) "Council" means the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad established under Section 3.

(b) "Paramedical" means any personnel qualified in paramedical subject and who helps in teaching or practice of—

(i) medicine within the meaning of clause (i) of section 2 of the Indian Medical Council Act, 1956 (No. 102 of 1956); or

(ii) medicine in Homoeopathy and Biochemistry within the meaning of clause (d) of section 2 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976); or

(iii) medicine in Ayurvedic System, Naturopathy and Unani system within the meaning of clauses (b) (e) and (i) respectiively of section 2 of the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavsayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971);

(c) "Paramedical subject" means the subject mentioned in the Schedule;

(d) "Recognised paramedical qualification" means a degree, diploma or certificate in any paramedical subject, granted by any University established by law or any other institution recognised by the State Government in this behalf.

(e) "Registered Paramedical Practitioner" means a person registered under this Act.

(f) "State Register" means a register maintained under this Act and expression "Registered" and "Registration" shall be construed accordingly.

CHAPTER—II

ESTABLISHMENT AND CONSTITUTION OF MADHYA PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL

3. (1) The State Government shall, as soon as may be, establish, by notification, a Paramedical Council with effect from such date as may be specified therein. Establishment of Council.

(2) The Council shall be a body corporate by the name of the Madhya Pradesh Paramedical, Council, and shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire and hold, property both movable and immovable and subject to the provisions made under this Act, to transfer any property held by it and to contract and to do all other thing necessary for the purposes of its constitution and may sue and be sued in its corporate name.

4. (1) The Council shall consist of the following members, namely:— Constitution of Council.

A—Ex-officio

(i) Hon. Minister for Medical Education.

(ii) Director Medical Education, Madhya Pradesh.

(iii) Director Health Services, Madhya Pradesh.

(iv) Director Indiginous System of Medicine, Madhya Pradesh.

(v) Chairman of the Vyavasayik Pariksha Mandal Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Controller.

B—Nominated Members

(vi) One Dean of State or Autonomous Medical College.

(vii) One Principal of State or Autonomous Ayurvedic College.

(viii) One Professor of Orthopaedics of Government or Autonomous Medical College or Principal of Autonomous College of Physiotherapy.

(ix) One Professor and Head of Department of State or Autonomous Medical College in which the course in paramedical subject is run.

(x) One Professor and Head of Department of State or Autonomous Ayurvedic or Homoepathy or Unani College in which any paramedical subject is run.

C—Elected Members

(xi) Five members to be elected from amongst themselves by the registered Paramedical Practitioners in such manner as may be prescribed by regulations:

Provided that in the case of constitution of the Council for the first time after the commencement of this Act the members under this category shall be nominated by the State Government.

(2) The member under clause (vi) to (x) of sub-section (1) shall be nominated by the State Government.

(3) No person shall at the same time serve as a member in more than one capacity

(4) The name of every person ex-officio, nominated or elected under sub-section (1) shall be notified in the Gazette.

Disqualifications for membership.

5. (1) A person shall not be qualified for being nominated or elected as a member of the Council, if—

(a) he is not a citizen of india; or

(b) he is an undischarged insolvent; or

(c) he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(d) he has been sentenced for an offence involving moral turpitude; or

(e) he is an employee of the Council and is remunerated by salary or honorarium; or

(f) his name has been removed form the State Register, or from the register of registered medical or paramedical practitioner under any Act for the time being in force.

Term of office of nominated members of Council and nominee.

6. (1) Save as otherwise provided in this Act, elected members shall hold office for a term of five years from the date of first meeting of Council :

Provided that the members nominated under proviso to clause (xi) of sub-section (1) of section 4 shall hold office till the elected members have entered their offices, and the members so elected shall continue in the office for the unexpired term of nominated members under clauses (vi) to (x) of sub-section (1) of Section4.

(2) The nominee of the Chairman of the Vyavasayik Pariksha Mandal, Madhya Pradesh, shall hold office of member of the Council during the pleasure of the aforesaid Chairman.

(3) Notwithstanding the expiration of the term specified under sub-section (1) the outgoing member shall continue in office till the nomination or election, as the case may be, of his successor.

Resignation by nominated or elected member.

7. The nominated or elected member of the Council may at any time resign from his office in such manner as may be prescribed by the regulations.

Disabilities for continuing as member of Council.

8. (1) If any member other than ex-officio member of the Council, during the period of his office—

(a) absents himself from three consecutive meetings of the Council without the permission of the Council; or

(b) is absent out of India for a period exceeding twelve consecutive months; or

(c) becomes subject to any of the disqualifications specified in section 5; or

(d) ceases to be registered medical practitioner under any Act for the time being in force;

the Council shall declare his office as vacant :

Provided that no declaration shall be made under this sub-section unless a reasonable opportunity of being heard is given to the member concerned.

(2) Any member aggrieved by a declaration under sub-section (1) may prefer an appeal to the State Government within ninety days from the date of such declaration and the decision of the State Government thereon shall be final.

Filling of casual vacancies.

9. If a nominated or elected member of Council dies or resigns, or for any other cause whatsoever ceases to be a member, the vacancy, shall be filled, as soon as may be, by nomination or election, as the case may be, and the person so nominated or elected shall hold office for the unexpired term of his predecessor.

President and Vice-President of Council.

10. (1) Hon'ble Minister for Medical Education, Madhya Pradesh, shall be ex-officio President of the Council

(2) Director Medical Education, Madhya Pradesh shall be ex-officio Vice-President of the Council.

(3) The President and Vice-President shall, subject to the provisions of this Act, exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by this Act or regulations thereunder.

CHAPTER—III

CONDUCT OF BUSINESS

Convening of meeting.

11. (1) The President of the Council shall call and fix the date of every meeting.

(2) The meeting of the Council shall be either ordinary or special.

(3) The notice of every meeting specifying the time and place thereof and the business to be transacted thereat, shall be despatched to every member fifteen clear days before an ordinary meeting and seven clear days before a special meeting.

(4) No business other than that specified in the notice relating thereto, shall be transacted at a meeting except with the permission of the Chair.

Powers of President to call special meeting.

12. The President may, whenever he thinks fit, call a special meeting, and shall be bound to do so within two weeks of the receipt of a written requisition, signed by not less than seven members of the Council.

Adjournment of meeting.

13. (1) Any meeting of the Council may, with the consent of the majority of the members of the Council present, be adjourned from time to time, to a later hour on the same day or to any other date, but no business other than left over at the adjourned meeting shall be transacted at such meeting.

(2) A notice of adjoumment posted in the office of the Council or at the place of meeting, on the day on which the meeting is adjourned, shall be deemed sufficient notice of the next ensuing meeting.

Presiding of meeting.

14. The President of the Council shall preside over the meeting. If the President of the Council is absent, the meeting of the Council shall be presided over by the Vice-President. If the President and the Vice-President are both absent, the members present shall Choose one of them to preside over the meeting.

Quorum

15. (1) The quorum for a meeting of the Council shall be one third of the total number of member of the Council.

(2) If at any time in a meeting there is no quorum, the presiding authority shall adjourn it to such time or date as it thinks fit and announce the same at once; and the business set down for the meeting shall be brought forward at the subsequent meeting, whether at such meeting there is a quorum or not.

(3) No business other than the business fixed for the meeting, shall be transacted at such subsequent meetings.

(4) A notice of such adjournment posted in the office of the Council or at the place of meeting, on the day on which the meeting is adjourned shall be deemed sufficient notice of the subsequent meeting.

Decision of questions by majority of votes.

16. Except as otherwise provided by or under this Act, all questions brought before any meeting of the Council, shall be decided by a majority of the votes of the members present and in case of votes being equal the presiding authority at the meeting shall have a second or casting vote.

Minutes of proceedings.

17. (1) The minutes of proceedings of each meeting of the Council shall be recorded in a book to be kept for the purpose. The names of the members of the Council present thereat shall be entered in the minute book and it shall be signed in confirmation by the Presiding Authority at the same or next ensuing meeting.

(2) A copy of the minutes of proceedings of each meeting of the Council shall be forwarded to the State Government within seven days from the date of its confirmation.

Vacancies etc. not to invalidate proceedings.

18. No act or proceedings of the Council shall be invalid merely by reasons of—

(a) any vacancy in, or defect in the constitution thereof; or

(b) any defect in the election or nomination of a person acting as member thereof; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

19. until the contrary is proved, every meeting of the Council shall be deemed to have been duly convened when the minutes of the meeting have been signed in accordance with the provisions of this Act. Proceeding o meeting to b good and valid.

20. (1) The members of the Council shall receive such travelling and other allowances as may be prescribed by regulations : Allowances of members of Council.

Provided that the members of the Council who are Government employees shall not be entitled to receive such allowances.

(2) No member shall be entitled to any payment other than the payment as specified in sub-section (1).

21.(1) The Council may, it if thinks necessary, invite any person having special knowledge or experience in paramedicine to its meeting, to hear his views on the subject. Such person shall have right to take part in the discussion on the subject but shall not have the right to vote in the meeting of the Council. Power of Council to invite any person having special knowledge or experience in paramedicine.

(2) the invitee shall be entitled to receive such allowances as specified in section 20.

22. (1) The council may appoint, from time to time and for such period, a committee consisting of such number of its members as it may think fit and may refer to such committee for enquiry and report or for opinion any matter for the purposes of this Act. Committees.

(2) Every committee appointed under sub-section (1) shall at its first meeting select one of its member to be its Chairman.

(3) The mode of appointment of such committee, the summoning and holding of meetings and the conduct of business of such committee shall be such as may be prescribed by the regulations.

CHAPTER-IV

POWERS AND FUNCTIONS OF COUNCIL

23. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Council shall exercise such powers and perform such funcitons as may be necessary for carrying out the purposes of this Act. Powers and function of Council.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, the powers and the functions of the Council shall be—

(a) to maintain the State register of paramedical practitioners;

(b) to hear and decide appeals from the decision of the Registrar in such manner as may be prescribed by regulations;

(c) to prescribe by regulations a code of ethics for regulating the professional conduct of registered paramedical practitioners;

(d) to reprimand a registered paramedical practitioner, to suspend or remove the name from the State Register, or to take such other disciplinary action against him, as may, in the opinion of the Council, be necessary or expedient,

(e) to permit any member to be absent himself form three consecutive meetings of the Council.

(f) to promote innovations, research and development in establishment of new paramedical subjects;

(g) to formulate schemes for promoting paramedicals education;

(h) to promote an effective link between paramedical education and medical education, Ayurvedic, Unani, Homeopathy and Biochemy systems and to promote research and development in these subjects;

(i) to lay down norms and standards for courses, curricula, physical and instructional facilities, staff pattern, staff qualifications, quality instructions, asessment and examinations.

(j) to fix norms and guidelines for charging tution and other fees;

(k) to advise the State Government in respect of grant of charter to any paramedical body or institution in the field of education.

(l) to provide guidelines for admission of students to paramedical institutions and Universities imparting paramedical education.

(m) to inspect or cause to be inspected any paramedical institution;

(n) to constitute a board for conducting the examination to maintain uniformity of standard;

(o) to perform such other functions as may be prescribed by rules;

(p) to conduct the election of members under clause (xi) of sub section (1) of section 4.

CHAPTER—V

PARAMEDICAL INSTITUTIONS AND RECOGNITION

ation of medical ication in cases.

24. Where any paramedical institution is established or any paramedical institution opens a new or higher course of study except with the previous permission of the State Government in accordance with the provisions of this Act, no paramedical qualification granted to any student of such paramedical institution shall be a recognised paramedical qualification for the purposes of this Act.

for seeking ission for in existing medical ution.

25. If any person has established a paramedical institution or any paramedical institution has opened a new or higher course of study or training or increases, the admission capacity, such person or paramedical institution, as the case may be, shall seek within a period of one year from the commencement of this Act, the permission of State Government in accordance with the provisions of this Act.

gnition of medical ification ted by ersity or medical itution in

26. The paramedical qualifications granted by Indian Medical Institutions, which are included in the Schedules to the Medical Council Act, 1956 (No. 102 of 1956) shall be recognised paramedical qualifications for the purpose of this Act.

Recognition of paramedical qualification granted by Paramedical Institution in countries with which there is a scheme of reciprocity.

27. (1) The paramedical qualification granted by medical institutions outside India, which are included in the Schedule to the Medical Council Act, 1956 (No. 102 of 1956) shall be recognised paramedical qualifications for the purpose of this Act.

(2) The State Government after consultation with the Council may by notification in the Official Gazette amend the Schedule by directing that an entry be made therein in respect of any paramedical qualification declaring that it shall be recognised paramedical qualification only when granted before a specified date.

(3) Where the Council has refused to recommend any paramedical qualification which has been proposed for recognition by any Authority referred to in sub-section (2) and that Authority applies to the State Government in this behalf, the State Government after considering such application and after obtaining from the Council a report, if any, as to the reasons for any such refusal may by notification in the Official Gazette amend the Schedule so as to include such qualification therein and the provision of sub-section (2) shall apply to such notification.

Recognition of Paramedical qualification granted by certain Paramedical Institutions whose qualification are not included in the Schedule.

28. Any paramedical institution in India, which desires a paramedical qualification granted by it, to be included in the Schedule, may apply to the State Government with such application fee as may be fixed by regulation to have such qualification recognised and the State Government, after consulting the council, may by notification in the Official Gazette, amend the Schedule as to include such qualification therein, and any such notification may also direct that an entry shall be made in the last column of Schedule against such paramedical qualification declaring that it shall be a recognised paramedical qualification only when granted after a specified date.

Power to require information as to courses of study and examinations.

29. Every University or Paramedical Institution in India which grants a recognised paramedical qualification, shall furnish such information as the Council, may, from time to time, require as to the courses of study and examinations to be undergone in order to obtain such qualification, as to the ages at which such courses of study and examinations are required to be undergone and such qualifications conferred and generally as to the requisites for obtaining such qualification.

Inspection of Paramedical Institution.

30. The Council shall cause all Paramedical Institution to be inspected as and when deemed necessary.

Withdrawal of recognition.

31. (1) If it appears to the Council :—

(a) that the courses the study and examination to be undergone in or the proficency required from candidates at any examination held by any University or paramedical institution; or

(b) that the staff, equipment, accommodation, training and other facilities for instruction and training provided in such University or paramedical institution or in any college or other institution affiliated to that University do not conform to the standards prescribed by the Council;

the Council shall take action for the withdrawal of recognition.

(2). Before withdrawal of recognition the Council shall send a show cause notice to the Paramedical Institution or University specifying the period within which the reply shall be submitted.

(3) On receipt of the reply or where no reply is submitted within the period specified in the show cause notice then on the expiry of that period the Council shall take decision in the matter.

32. The Council may prescribe the minimum standards of paramedical education required for granting recognised paramedical qualifications (other than postgraduate paramedical qualification) by Universities or Paramedical Institutions in India.

CHAPTER—VI
REGISTRAR AND OTHER OFFICERS AND SERVANTS

33. (1) The Council shall, with the prior approval of the State Government, appoint a Registrar who shall act as Secretary of the Council.

(2) the Council may, with the prior approval of the State government, employ such other officers and servants as it may deem necessary for carrying out the provisions of this Act.

(3) The qualification, conditions of service and pay scale of the Registrar and of other officers and servants shall be such as the Council may determine by regulations, with prior approval of State Government.

(4) The Council shall require and take from the Registrar or from any other officer such security for the due performance of his duties as the Council may deem necessary.

(5) the Registrar or any other officer or servant appointed by the Council under this Section shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code 1860 (No. 45 of 1860).

34. (1) It shall be the duty of the Registrar to keep the State Register in accordance with the provisions of this Act and of any Order made by the council, to revise it from time to time in such manner as may be prescribed by Regulations, to publish it in the Gazette and to discharge such other functions as are or may be required to be discharged by him under this Act and the Rules and Regulations made thereunder.

(2) The Registrar shall see that the State Register is as far as possible correct at all time and may from time to time enter therein any material alteration in the address or qualifications of the Registered Paramedical practitioners.

(3) The Registrar may remove from the State Register the name of the registered paramedical practitioner who dies or whose name is directed to be removed from the State Register or who ceases to be the paramedical practitioner.

(4) On receipt of intimation from the practitioner the Council is satisfied that the practitioner has not ceased to practice then the council may direct the Registrar to restore the name of such practitioner in the state Register and the Registrar shall comply with such direction.

CHAPTER—VII
FUND OF COUNCIL

35. (1) The Council shall establish a fund to be called the fund of the Council.

(2) the following shall form part of, or be paid into, the fund of the Council:—

(a) any contribution or grant by Central or State Government.;

(b) income of the Council from all sources including income from fees and fines;

(c) trust, donations, endowment and other grants, if any;

(d) all other sums received by the Council.

Objects to which fund of Council shall be applied.

36. The fund of the Council shall be applicable to the following objects, namely:—

(a) to the repayments of debts incurred by the Council for the purposes of this act and the Rules and Regulations made thereunder;

(b) to the expenses of any suit or legal proceedings to which the Council is a party;

(c) to the payment of salaries and allowances to the officers and servants of the Council;

(d) to the payment of allowances to the office bearers of the Council;

(e) to the payment of any expenses incurred by the Council in carrying out the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder;

(f) any other expenses incurred for the promotion and development of paramedical education, reserch and training, declared by the Council to be in the general interest of paramedical profession;

Accounts and Audit.

37. (1) The accounts of the Council shall be prepared before such date and at such intervals and in such manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Council shall be audited by the registered chartered accountant. The audit fee of the chartered accountant shall be fixed by the Council from time to time as per their regulations.

(3) As soon as the accounts of the Council are audited the Council shall send a copy thereof, together with a copy of the report of the Director Medical Education thereon, to the State Government in such manner as may be prescribed.

Budget.

38. (1) The Registar shall cause to be prepared, in such form as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure and shall cause it to be laid before the Council at such time and in such manner as may be prescribed.

(2) Within fifteen days from the date of the meeting in which the budget is passed, it shall be forwarded to the State Government.

(3) If the State Government is of the opinion that provisions of the budget so forwarded to it are not adequate for carrying out the purposes of this Act, it shall return the budget to the Council for such modifications as may be suggested by the State Government.

(4) The Council shall be competent to reappropriate such amounts as may be necessary from one head to another and within such heads or minor heads.

(5) The Council may as and when required, pass a supplementary budget in such form and by such date as may be prescribed and the provisions of sub-sections (2), (3) and (4) shall apply to such supplementary budget.

CHAPTER—VIII

REGISTRATION AND STATE REGISTER

Registration and State Register.

39. (1) Every person possesssing a recognised qualification shall be eligible for enrolment on the State Register on furnishing to the Registrar proof of such qualification and on payment of such fee not exceeding five hundred rupees as may be prescribed and different fee may be prescribed for different qualifications.

(2) The Council shall cause to be maintained a State Register of paramedical practitioners in such form as may be prescribed by regulations.

(3) It shall be the duty of the Registrar to keep and maintain the State Register in accordance with the provisions of this Act and of any order made by the Council and from time to time revise the Register and publish it in the Gazette and in such other manner as may be prescribed.

(4) The Register shall be deemed to be a public document, within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (No. 1 of 1872).

Power of Council to prohibit entry in, or to order removal from, State register name of any person.

40. The Council may, upon reference from the Registrar or otherwise, by order, prohibit the entry in, or order the removal from, the State Register, the name of any person.

(a) who has been sentenced by a criminal court to imprisonment for an offence indicating in the opinion of the Council such a defect in character as would render the enrolment or continuance of his name in the State Register undersirable; or

(b) whom the Council after enquiry has found guilty of infamous conduct in any professional respect by a majority of two third of the members of the Council present and voting at the meeting:

Provided that no order shall be passed under this section without giving a reasonable apportunity of being heard to the person concerned.

Alteration of State Register.

41. (1) The Council may, after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard an enquiring into his objections, if any, order that any entry in the State register which in the opinion of the Council, has been fraudulently or incorectly made or brought about, be cancelled or emended.

(2) The Council may direct the removal for ever, or for a specified period from the State register, the name of any registered Paramedical practitioner for the same reason for which registration may be prohibited by the Council under section 40;

(3) The Council may direct that the name removed under sub-section (2) shall be restored subject to such condition, if any, which the Council may deem fit to impose.

Procedure in Inquiries.

42. For the purpose of any inquiry under the provisions of this Act, the Council or any committee appointed under sub-section (1) of Section 22 shall be deemed to be a court within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (No. 1 of 1872) and the Code of Civil Procedure 1908 (No. 5 of 1908) and shall exercise all powers of a commissioner appointed under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (No. 37 of 1850) and such inquiries shall be conducted, as far as may be in accordance with the provisions of Section 5 and Section 8 to 20 of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (No. 37 of 1850).

Appeal against order of Council.

43. Any person:—

(1) whose application for enrolment in the State register is rejected under section 39 or 41; or

(2) whose entry in the State register is prohibited under section 40; or

(3) whose name, from the state Register is removed, may, within ninety days of order of rejection, prohibition or removal, as the case may be, appeal to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final.

Prohibition on practice except as provided in this Act.

44. (1) Save as provided in this Act, no person shall practice or hold himself out, whether directly or indirectly as practicing habitually for personal gain as a paramedical practitioner within the State.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

CHAPTER—IX

RULES AND REGULATIONS

Power to make rules.

45. (1) The State Government may make rules to carry out purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Power to make regulations.

46. (1)The Council may with the previous sanction of the State Government and subject to rules made under section 45 make regulations generally to carry out the purposes of this Act, and without prejudice to the generality of foregoing power, such regulations may provide for:—

(a) the management of the property of the Council and the maintenance and audit of its account;

(b) the manner of election of five members from the paramedical practitioners under clause (xi) of sub-section (1) of Section 4;

(c) the resignation by nominated or elected members of the Council;

(d) the powers and duties of the President and Vice President;

(e) the mode of appointment of committees, the summoning and holding of meetings and the conduct of business of such committees;

(f) the travelling and other allowances payable to the members of the council under sub-section (1) of Section 20;

(g) (i) the manner to hear and decide appeals from the decision of the Registrar under clause (b) of sub-section (2) of Section 23;

(ii) the code of ethics for regulating the professional conduct under clause (c) of sub-section (2) of Section 23;

(h) the qualification, the conditions of service and pay scale of the Registrar and other officers and servants under sub-section (3) of Section 33;

(i) the manner of revision of State Register under sub-section (1) of Section 34;

(j) the form of State register under sub-section (1) of Section 39;

(k) any other matter for which under this Act provision may be made by regulations.

(2) the State Government, on receiving regulations for sanction may sanction them subject to such modification as it may think fit or return them to the Council for reconsideration

(3) All regulations shall be published in the gazette.

(4) The State Government may, by notification, cancel any regulation.

CHAPTER—X

MISCELLANEOUS

y for
ful use of
ate.

47. Any person who:—

(a) dishonestly makes use of any certificate of registration granted under this Act; or

(b) procures or attempts to procure registration under the provisions of this Act by making or producing, or causing to be made or produced any false or fradulent declaration, certificate or representation whether in writing or otherwise; or

(c) wilfully makes or causes to be made any false representation in any matter relating to the certificate of registration issued under the provisions of this Act;

shall on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees or with both.

rmation to
rnished by
cil.

48. The Council shall furnish such reports, copies of its minutes, abstracts of its accounts and other information to the State Government as the State Government may require.

r to amend
lule.

49. the State Government may, by notification, amend the Schedule so as to include therein any subject not already specified therein or omit therefrom any subject or modify the description of any subject.

izance of
ce.

50. (1) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act, except upon complaint in writing made by the Registrar or any other officer authorised by the Council in this behalf by general or special order;

(2) No court inferior to that of a magistrate of first class shall try any offence punishable under this Act.

ked by State
ernment.

51. If at any time it appears to the State Government that the Council has failed to exercise or has exceeded or abused any of the powers conferred upon it by or under this Act, or has failed to perform any of the duties imposed upon it by or under this Act, the State Government may, if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Council, requiring it to remedy such failure, excess or abuse within such period as may be specified in the notice and if the Council fails to remedy such failure, excess or abuse within the period specified in the notice, the State Government may dissolve the Council and cause all or any of the powers and the duties of the Council to be exercised and performed by such person and for such period not exceeding two years as it may think fit and shall take steps to bring into existence a new Council.

SCHEDULE

[*See* Section 2 (c)]

(1) Physiotherapy/Occupational therapy Course.
(2) Speech therapy Course.
(3) Audiologist.
(4) Laboratory Technician (Various types)
(5) X-ray Technician/Radiographer.
(6) E.C.G. Technicians
(7) Cyto Technicians.
(8) Ortho Technicians.
(9) Mould room Technicians.
(10) Gamma Camera Technician.
(11) Orthotic Technician.
(12) Optometrist.
(13) Orthotic and contact lens.
(14) E.C.G. Technicians.
(15) Ultra Sound.
(16) Angiography.
(17) Operation Theatre Technician.
(18) Degree, Diploma and Certificate in Human Nutrition.
(19) Dialysis Technician.
(20) Insulation Therapy Technician.
(21) Health Inspector Course.
(22) Hospital Medical record Science.
(23) Compounder (Allopathy, Ayurvedic, Unani And Homoeopathy)
(24) Compounder in Biochemic System of Medicine.
(25) Diploma in Clinical Biochemistry.
(26) Microbiology.
(27) Pathology.
(28) Optometri refraction.
(29) Paramedical Ophthalmic Assistant.
(30) Perfusionist/Cardiac Surgery Technician.
(31) Cath. Lab. Technician.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजना अन्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल/06-08

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58] भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 फरवरी 2008—माघ 17, शक 1929

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2008

क्र. एफ 13-1-806-2007-2-पचपन.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 का 2001) की धारा 49 सहपठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-69-2000-पचपन-एम ई, दिनांक 30 अक्टूबर 2002 के द्वारा भी प्रकाशित की जा चुकी है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 35 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएँ, अर्थात् :—

36. पंचकर्म टेक्नीशियन पाठ्यक्रम

No. F. 13-1-806-2007-2-LV.—In exercise of the powers conferred by Section 49 read with Section 28 of the Madhya Pradesh Sah Chikisiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government hereby makes the following further amendment in the schedule of the said published vied this Department's Notification No. 5-69-2000-LV-ME-1, dated 30th October 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the schedule, after serial number 34 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely :—

36. Panchkaram Technician Pathyakaram

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 493] भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अगस्त 2008—श्रावण 22, शक 1930

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2008

क्र. एफ. 13-4-2008-2-पचपन.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 का 2001) की धारा 49 सहपठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-69-2000-पचपन-एम.ई., दिनांक 30 अक्टूबर 2002 के द्वारा भी प्रकाशित की जा चुकी है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 36 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

37. बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)

No. F. 13-4-2008-2-LV.—In exercise of the powers conferred by Section 49 read with Section 28 of the Madhya Pradesh Sah-Chiktsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001) the State Government hereby makes the following further amendment in the Schedule of the said Published *vide* this Department's Notification No. 5-69-2000-LV-M.E.-1, dated 30th October 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, after serial number 36 and entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be added, namely:—

37. Multipurpose Health Worker (Male)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुपम श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-101-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी 2009—फाल्गुन 7, शक 1930

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2009

क्र. एफ. 5-1-2009-1-पचपन.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 का 2001) की धारा 49 सहपठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-69-2000-पचपन-एम.ई., दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 के द्वारा भी प्रकाशित की जा चुकी है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 37 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

38. डेन्टल मेकेनिक्स
39. डेन्टल हाईजीन

No. F. 5-1-2009-1-LV.—In exercise of the powers conferred by Section 49 read with Section 28 of the Madhya Pradesh Sah-Chiktsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government hereby makes the following further amendment in the schedule of the said published *vide* this Department's Notification No. 5-69-2000-LV-ME-1, dated 30th October 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the schedule, after serial number 37 and entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be added, namely :—

38. Dental Mechanics
39. Denial Hygiene

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूपा श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल/डिवीजन
म. प्र.-108 भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी 2009—फाल्गुन 7, शक 1930

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2009

क्र. एफ 10-64-2005-पचपन-चिशि-1.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए मानक तथा मार्गदर्शक सिद्धांत नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय शिक्षा (सह-चिकित्सीय संस्थाओं की स्थापना के लिए मानक तथा मार्गदर्शक) नियम, 2007 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001);

(ख) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट;

(ग) "परिषद्" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्.

3. पात्रता मानदंड.—निम्नलिखित संगठन नवीन सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुज्ञा के लिए पात्र होंगे:—

(क) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का विश्वविद्यालय;

(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा संप्रवर्तित स्वायत्तशासी निकाय;

(ग) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या राज्य में तत्समय प्रवृत्त और इस संबंध में लागू किन्हीं तत्स्थानी विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटियां;

(घ) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का सं. 21) या वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 29) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त न्यास.

4. अर्हकारी मानदंड.—पात्र संगठन, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए तथा समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों के उपबंधों का पालन करेंगे. संगठन, नए सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन अर्ह होंगे :—

(क) आवेदक का मुख्य उद्देश्यों में सह-चिकित्सीय शिक्षा एक उद्देश्य है.

(ख) तीन या तीन से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की नगरीय क्षेत्र में आधा एकड़ भूमि या ग्रामीण क्षेत्र में एक एकड़ भूमि स्वयं के स्वामित्व की होना चाहिए जिस पर आवेदन का पांच से सात हजार वर्ग फिट में निर्मित भवन हो. ऐसी आवेदक संस्थाएं जिनके संबंधित अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार स्वयं के चिकित्सालय हैं किंतु इन नियमों में विहित मानकों के अनुसार भूमि नहीं है तो ऐसी संस्थाओं के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा और संस्थाओं को इस शर्त के साथ अनुज्ञान किया जा सकेगा कि वे अनुज्ञा प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विहित भूमि का नियम 4 (ख) के पुष्टिकरण में प्रबंध करेंगे.

(ग) प्रस्तावित स्थान में प्रस्तावित संस्थान के होने की वांछनीयता और संभाव्यता के संदर्भ में आवश्यकता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है और इस प्रभाव का एक प्रमाण पत्र राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या जिले के कलेक्टर से प्राप्त कर लिया है कि प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री उपलब्ध है.

(घ) प्रस्तावित संस्थान के प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता की सहमति मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ली गई है.

(ङ) (एक) आवेदक के स्वामित्व तथा उसके प्रबंधन में कम से कम 100 बिस्तरों का (उपाधि और पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों के लिए) या 50 बिस्तरों (अधिकतम तीन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के लिए) का आवश्यक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ एक अस्पताल है और परिषद् द्वारा यथाविहित शिक्षण संस्था में विकसित होने की क्षमता है एवं जो प्रस्तावित संस्थान के समीप है.

(दो) जहां आवेदक ने तीन सह-चिकित्सीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम 50 बिस्तरों के अस्पताल की व्यवस्था की है वहां ऐसे आवेदक के अनुज्ञा के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकेगा और समाधान के पश्चात् अनुज्ञात किया जा सकेगा.

(तीन) ऐसी संस्था जो संभागीय मुख्यालय के जिले को छोड़कर, किसी जिले में, सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम संचालित करने की इच्छा रखती है और जिसने जिला चिकित्सालय से सम्बद्धता प्राप्त कर ली है तो अनुज्ञा के लिए आवेदन पर प्रत्येक जिले में अधिकतम चार संस्थाओं और तहसील तथा ब्लाक में दो संस्थाओं को जिला अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई हो, के आधार पर विचार किया जा सकेगा.

(च) आवेदक के पास अपेक्षित अधोसंरचनात्मक प्रसुविधाओं, जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए परिषद् द्वारा यथाविहित पर्याप्त छात्रावास सुविधाएं सम्मिलित हैं, के साथ छात्रों की प्रस्तावित संख्या के अनुरूप संस्थान स्थापित करने का साध्य और समय बाधित कार्यक्रम हो, जिससे कि ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने की तारीख से उपाधि (डिग्री) के लिए चार वर्ष, पत्रोपाधि (डिप्लोमा) के लिए दो वर्ष और प्रमाण-पत्र (सर्टीफिकेट) पाठ्यक्रम के लिए एक वर्ष की अवधि के भीतर संस्थान पूर्ण कर सके.

(छ)(एक) सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान में छात्रों को प्रवेश, परिषद् का, पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए अपेक्षानुरूपात्मक और अन्य सुविधाओं के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा.

(दो) यदि भविष्य में किसी संस्थान की मान्यता किसी आधार पर प्रत्याहृत कर ली जाती है, तब ऐसे संस्थान के विद्यार्थियों को, किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में स्थानान्तरित करने का अधिकार परिषद् को होगा.

(ज) आवेदक के पास प्रस्तावित शिक्षण संस्थान को स्थापित करने की और इसकी आनुषंगिक सुविधाओं तथा अध्यापक कर्मचारिवृन्द आदि की आवश्यक प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताएं हैं.

(झ) आवेदक संस्था, उसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में आवेदन के साथ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की तीन वर्ष की सपरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी.

(ञ) आवेदक, एक से तीन पाठ्यक्रमों के लिए तीन लाख रुपये, एक से दस पाठ्यक्रमों के लिए पांच लाख रुपये और दस से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए पांच लाख रुपए के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रत्येक अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए दो लाख की दर से, परिषद् के पक्ष में एक बैंक गारन्टी परिषद् द्वारा निर्धारित अधोसंरचनात्मक, शिक्षण और अन्य मानकों की पूर्ति के लिए प्रस्तुत करेगा. यदि परिषद् का यह मत है कि संस्था नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी परिषद् द्वारा समपहृत हो जायगी.

अपवाद :—उपरोक्त शर्त ऐसे आवेदकों पर लागू नहीं होंगी जो राज्य सरकार हैं परंतु वे उनके बजट में निर्धारित करने निधियां उपलब्ध कराने के लिए वचन देंगे और सहायता अनुदान तब तक देंगे जब तक कि उनके द्वारा उपदर्शित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सुविधाएं पूर्णतः उपलब्ध न हो जाएं.

5. प्ररूप और प्रक्रिया.—आवेदक द्वारा पात्रता मानदंड और अर्हकारी मानदंड की पूर्ति के अध्यधीन रहते हुए एक नया सह-चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन निम्नलिखित तीन भागों में प्रस्तुत किया जायगा :—

भाग-क

प्रस्तावित क्षेत्र में शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की वांछनीयता और प्रथम दृष्ट्या साध्यता के संबंध में आवेदक का निम्नलिखित विवरण और जानकारी आवेदन (परिशिष्ट) में अंतर्विष्ट होगी :—

(एक) पात्रता मानदंड के निर्देश निबंधन में आवेदक संस्था के गठन के संबंध में जानकारी;

(दो) बुनियादी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं और आवेदक की प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताओं के संबंध में जानकारी; और

(तीन) अर्हकारी मानदंड में यथाविहित आवश्यक प्रमाण-पत्र की उपलब्धता और सहमति के संबंध में जानकारी.

भाग-ख

आवेदन के भाग-ख में एक नवीन सह-चिकित्सीय शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने की योजना (स्कीम) का विस्तृत विवरण अंतर्विष्ट होगा और निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ एक "विस्तृत तकनीकी-आर्थिक साध्यता प्रतिवेदन" भी अंतर्विष्ट रहेगा, अर्थात्:—

(क) संस्था का नाम और पता.

(ख) बाजार सर्वेक्षण और पर्यावरणीय विश्लेषण जिसमें राष्ट्रीय शैक्षणिक नीतिगत आवश्यकता प्रशिक्षित सह-चिकित्सीय मानव शक्ति की उपलब्धता तथा प्रस्तावित स्थान पर एक नया सह-चिकित्सीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की प्रथम दृष्ट्या साध्यता सम्मिलित है.

(ग) स्थान की विशेषताएं और बाह्य संपर्कों की उपलब्धता जिसमें भौगोलिक स्थिति, भू-खंड का आकार, अनुज्ञेय कुर्सी स्थल सूचकांक, भूतल कवरेज, भवन की ऊंचाई, सड़क तक पहुंच, सार्वजनिक यातायात, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवेज संयोजन, टेलीफोन लाइन आदि सम्मिलित हैं.

(घ) शैक्षणिक कार्यक्रम जिसमें छात्रों की संख्या, प्रवेश मानदण्ड और विषयवार प्रवेश पाठ्यक्रम की पद्धति, स्थानों की प्रस्तावित संख्या और अध्ययन की वर्षवार पाठ्यचर्या सम्मिलित हैं.

(ङ) क्रियात्मक कार्यक्रम जिसमें विभागवार, सेवावार, क्रियात्मक आवश्यकताएं क्षेत्र वितरण तथा कमरावार बैठने की क्षमता सम्मिलित है.

(च) उपस्कर कार्यक्रम जिसमें चिकित्सीय, वैज्ञानिक और सहयोगी उपस्कर की मात्रा तथा उनके विनिर्देशन की कमरावार सूची की सम्पूर्ण अनुसूची सम्मिलित है.

(छ) मानव शक्ति कार्यक्रम जिसमें पूर्णकालिक अध्यापन कर्मचारिवृंद, तकनीकी, प्रशासनिक और आनुषंगिक कर्मचारिवृन्द, प्रवर्गवार भर्ती, मानदंड तथा वेतन संरचना की विभागवार उपलब्धता सम्मिलित है.

(ज) योजना और अभिविन्यास (ले-आउट) : शैक्षणिक संस्था का मास्टर प्लान, अभिविन्यास योजना, खण्ड उत्थापन और संस्था तथा आनुषंगिक भवन आदि की भू-पृष्ठ वार (फ्लोर वाइज) क्षेत्र गणना.

(झ) भवन कार्यक्रम जिसमें संस्था और कर्मचारिवृन्द आवास का निर्मित क्षेत्र, छात्रों के लिए छात्रवास, प्रशासकीय कार्यालय, पुस्तकालय, सभागार, पशुगृह, शवगृह और अन्य सुविधाएं जैसे सांस्कृतिक और मनोरंजन केन्द्र आदि सम्मिलित हैं.

(ञ) भवन कार्य प्रारंभ होने और पूर्ण होने को उपदर्शित करते हुए गतिविधियों का माहवार कार्यक्रम, स्थानीय निकाय, अनुमोदन, सिविल सन्निर्माण और उपस्कर.

(ट) परियोजना लागत जिसमें भूमि की पूंजी लागत, भवन और संयंत्र तथा मशीनरी चिकित्सीय, वैज्ञानिक एवं सहयोगी उपस्कर, फर्नीचर तथा साधित्र (फिक्सचर) एवं प्राथमिक और प्रचालन पूर्व व्यय सम्मिलित हैं.

(ठ) परियोजना को वित्त पोषित करने के साधन जिसमें सम्मिलित है आवेदक का अभिदाय और प्राप्त अनुदान, दान तथा उधार और अन्य स्त्रोत, यदि कोई हों.

(ड) राजस्व अनुमान जिसमें सम्मिलित है फीस संरचना और विभिन्न अन्य स्त्रोतों से प्राक्कलित वार्षिक राजस्व;

(ढ) व्यय अनुमान जिसमें सम्मिलित हैं, प्रचालन तथा अवमूल्यन व्यय; और

(ण) प्रचालन परिणाम जिसमें सम्मिलित है आय-विवरण नगदी विवरण तथा तुलन-पत्र (बेलेन्स शीट).

भाग-ग

आवेदन-पत्र के भाग 'ग' में विद्यमान अस्पताल का विस्तृत विवरण और अस्पताल को उन्नत करने की प्रस्तावित विस्तार योजना या नए अतिरिक्त अस्पताल स्थापित करने या प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था के पास दोनों को जोड़ने और निम्नलिखित जानकारी के साथ विस्तार योजना के बारे में एक "विस्तृत तकनीकी-शैक्षणिक साध्यता प्रतिवेदन" भी उसके साथ अंतर्विष्ट होगा—

(क) विद्यमान अस्पताल का नाम और पता.

(ख) विद्यमान अस्पताल का विवरण जिसमें चिरतरों की संख्या, निर्मित क्षेत्र, नैदानिक और सह नैदानिक विषय, बिस्तरों को विवरण, वास्तु योजना और अभिविन्यास योजना, चिकित्सीय उपस्कर और सहायक उपस्कर की सूची, प्रशासनिक और अन्य आनुषंगिक या सहायक सेवाएं तथा प्रवर्गवार कर्मचारिवृन्द संख्या आदि सम्मिलित हैं.

(ग) विस्तार के लिए अथवा नवीन अस्पताल स्थापित करने के लिए अतिरिक्त भूमि के बारे में विवरण जिसमें भूमि का ब्यौरा, प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था से दूरी, भू-खंड क्षेत्र, अधिकृत भूमि उपयोग, मृदा स्थिति, सड़क पहुंच, सार्वजनिक यातायात की उपलब्धता, विद्युत प्रदाय, जल प्रदाय, मल व्ययन संयोजन, दूरभाष लाइन आदि सम्मिलित हैं.

(घ) उन्नत चिकित्सीय कार्यक्रम जिसमें विस्तार योजना (स्कीम) के अधीन परिकल्पित अतिरिक्त नैदानिक और सह-नैदानिक विषय सम्मिलित हैं.

(ङ) उन्नत क्रियात्मक कार्यक्रम जिसमें विशेषज्ञतावार और सेवावार क्रियात्मक आवश्यकताएं तथा क्षेत्र वितरण एवं विशेषज्ञता वार विस्तर वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) सम्मिलित है.

(च) भवन कार्यक्रम जिसमें अस्पताल, कर्मचारिवृन्द आवास, छात्रों के छात्रावास और अन्य आनुषंगिक भवनों के अतिरिक्त निर्मित-क्षेत्र का विवरण सम्मिलित है.

(छ) योजना और अधिविन्यास जिसमें, यथास्थिति, अस्पताल काम्पलेक्स का उन्नत मास्टर प्लान या प्रस्तावित नए अस्पताल का मास्टर प्लान, यथास्थिति अभिन्यास योजना, खण्ड, ऊंचाई तथा अस्पताल और आनुषंगिक भवन की तल वार (फ्लोर वाइज) क्षेत्र गणना सम्मिलित है.

(ज) क्षमता में उन्नयन या परिवर्धन, सेवाओं और चिकित्सालयीन सेवाओं के संरूपण का विवरण.

(झ) उन्नत उपस्कर कार्यक्रम जिसमें चिकित्सीय और सहबद्ध उपस्करों की उन्नत क्रमवार सूची, मात्राओं और विनिर्देशों की अनुसूची सम्मिलित है.

(ञ) उन्नत मानव शक्ति कार्यक्रम जिसमें चिकित्सीय, सह-चिकित्सीय और अन्य कर्मचारिवृन्द का प्रकारवार वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) सम्मिलित है.

(ट) विस्तार स्कीम जिसमें मासिक आधार पर भवन निर्माण के प्रारंभ और पूर्णता, स्थानीय निकाय अनुमोदन, सिविल सन्निर्माण उपदर्शित करते हुए गतिविधियों की मुख्य सूची चिकित्सीय और सहबद्ध उपस्कर, प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था के विकास के अनुरूप कर्मचारिवृन्द की भर्ती के उपबंध सम्मिलित हैं.

(ठ) विस्तार स्कीम की परियोजना लागत जिसमें भूमि, भवन, अस्पताल सेवाएं, चिकित्सीय और सहबद्ध उपस्करों, फर्नीचर और साधित्र (फिक्सचर) की अतिरिक्त लागत तथा प्रारंभिक एवं पूर्व प्रचालन व्यय सम्मिलित हैं.

(ड) विस्तार स्कीम की लागत को वित्त पोषित करने के साधन जिसमें आवेदक का अधिदाय और प्राप्त किए अनुदान, दान, प्राप्त उधार तथा अन्य स्रोत, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं.

(ढ) राजस्व धारणा जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं और सेवाओं, उन्नत सेवाभार और वार्षिक राजस्व से, आय के ब्यौरे सम्मिलित हैं.

(ण) व्यय धारणा जिसमें प्रचालन व्यय और अवक्षयण सम्मिलित है, और

(त) प्रचालन परिणाम जिसमें आय विवरण, नगदी विवरण और तुलन-पत्र (बेलेंस शीट) सम्मिलित है.

6. आवेदन फीस.—आवेदन, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट/संदाय आदेश के रूप में अप्रतिदेय (नान-रिफन्डेबल) आवेदन फीस के साथ केवल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल को (भोपाल में देय) रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही प्रस्तुत किया जायगा,—

(एक)	पचास हजार रुपये	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए
(दो)	पच्चीस हजार रुपये	उपाधि पाठ्यक्रम के लिए
(तीन)	पन्द्रह हजार रुपये	पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम के लिए
(चार)	दस हजार रुपये	प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के लिए (प्रति प्रमाण-पत्र)

डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर के प्ररूप में मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल के पक्ष में देय होगा.

तकनीकी सुरक्षा, आकस्मिक व्यय तथा परीक्षा के निरीक्षण और प्रत्येक व्यावसायिक परीक्षा की समाप्ति पर मूल्यांकन के रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस है. एक निरीक्षण के बाद सामान्य निरीक्षण फीस ऐसी होगी, जैसा कि परिषद् द्वारा विहित की जाए. यदि संस्था का निरीक्षण, परिषद्/राज्य सरकार द्वारा निदेशित निरीक्षण समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व नहीं किया जाता है तो संस्था द्वारा जमा की गई फीस से 10 प्रतिशत रकम की कटौती करने के पश्चात् फीस की शेष रकम पर संस्था के अनुरोध पर प्रतिदाय किये जाने हेतु विचार किया जायेगा.

7. रजिस्ट्रीकरण.—(1) सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए आवेदनों को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा. आवेदनों का रजिस्ट्रीकरण (पंजीयन) मात्र मूल्यांकन के लिये आवेदनों की स्वीकृति का द्योतक होगा. यद्यपि, किसी भी स्थिति में अनुज्ञा के प्रदान करने के लिये आवेदन का अनुमोदन अभिप्रेत नहीं होगा.

(2) नवीन सह-चिकित्सीय शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिये किसी आवेदन की प्रक्रिया के लिए मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) के अधीन विहित एक वर्ष की अवधि परिषद् द्वारा आवेदन के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रारंभ होगी.

(3) अपूर्ण आवेदनों को रजिस्टर नहीं किया जायेगा और संलग्नकों तथा वे प्रक्रिया फीस के साथ आवेदक को वापस कर दिये जायेंगे.

8. विहित कालावधि.—नियम 7 में विनिर्दिष्ट समयावधि की गणना करने में परिषद् द्वारा मांगी गई किसी जानकारी/अतिरिक्त दस्तावेजों के स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में स्कीम प्रस्तुत करने वाले प्राधिकारियों और संस्थाओं द्वारा लगाए गये समय को अपवर्जित कर दिया जायेगा.

9. मूल्यांकन.—परिषद् प्रथमतः आवेदन के भाग "क" को प्रस्तावित स्थल पर सह-चिकित्सीय शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की वांछनीयता और प्रथम दृष्टया साध्यता का मूल्यांकन करेगी और स्कीम के लिये आवश्यक संसाधन तथा अधोसंरचना उपलब्ध कराने की आवेदक की सामर्थ्य का भी मूल्यांकन करेगी. परिषद्, आवेदन के प्रत्येक भाग का मूल्यांकन करते समय आवेदक से और भी जानकारी/स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझे या जानकारी का सत्यापन करने के लिए भौतिक सत्यापन कर सकेगी.

10. अनुज्ञा प्रदान करना.—(1) परिषद् नवीन सह-चिकित्सीय शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की औपचारिक अनुज्ञा का पत्र, मूल प्रस्ताव में उपांतरण की ऐसी शर्तों के साथ जारी कर सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझे. औपचारिक अनुज्ञा, शर्तों को पूर्ण करने और उपांतरण को स्वीकार करने, क्रियान्वित करने तथा आवेदक द्वारा अपेक्षित राशि की बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करने के पालन के पश्चात् ही दी जा सकेगी.

(2) औपचारिक अनुज्ञा में सह-चिकित्सीय शैक्षणिक संस्था की स्थापना और अस्पताल सुविधाओं के विस्तार के लिये समयबद्ध कार्यक्रम सम्मिलित होगा. अनुज्ञा में भवन, अधोसंरचनात्मक सुविधाएं चिकित्सीय उपस्कर, संकाय और कर्मचारिवृन्द आदि के संबंध में प्रारंभिक आवश्यकताओं की सुस्पष्ट परिभाषा भी सम्मिलित रहेगी. अनुज्ञा में, आने वाले वर्षों के दौरान प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या के संबंध में आवेदक द्वारा उपलब्ध किये जाने वाले वार्षिक लक्ष्य परिभाषित रहेंगे.

(3) नवीन सह-चिकित्सीय शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने और छात्रों को प्रवेश देने की पूर्वोक्त अनुज्ञा प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जायेगी और वार्षिक लक्ष्य की उपलब्धियों और बैंक प्रत्याभूति की पुनर्विधिमान्यता के सत्यापन के अध्यधीन रहते हुए वार्षिक आधार पर नवीनीकृत की जा सकेगी. अनुज्ञा के नवीकरण की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि सह-चिकित्सीय शैक्षणिक संस्था की स्थापना और चिकित्सालयीन सुविधाएं पूर्ण न कर ली जाएं तथा परिषद् द्वारा संस्था को औपचारिक मान्यता प्रदान न कर दी जाए.

(4) आगामी प्रवेश को किसी भी चरण पर तब तक रोका जा सकेगा जब तक कि परिषद् का समाधान होने तक विकास के विभिन्न चरण की अपेक्षाएं पूर्ण न कर ली जाएं.

(5) परिषद् कोई अन्य जानकारी को प्राप्त कर सकेगी; जिसे वह उचित और आवश्यक समझे.

11. निरसन तथा व्यावृत्ति.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् (सह-चिकित्सीय) संस्थाओं की स्थापना हेतु मानक तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त) विनियम, 2001 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :—

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए विनियमों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या पारित किया गया कोई आदेश इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या किया गया आदेश समझा जाएगा.

परिशिष्ट

नए सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्था की स्थापना की अनुज्ञा के लिये आवेदन पत्र

[अधिनियम की धारा 23 (2) (1) देखिये]

1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. पता (स्पष्ट अक्षरों में)
3. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (नम्बर, गली, शहर, टेलीफ़ोन, टेलेक्स, फेक्स नम्बर)
4. गठन (राज्य सकार/यू. टी./विश्वविद्यालय/ स्वशासी निकाय/सोसायटी/न्यास (ट्रस्ट)
5. रजिस्ट्रीकरण/निगमन (नम्बर तथा तारीख)

संलग्नकों की सूची

1. उपविधियों/संस्था के ज्ञापन तथा नियमावली/ न्यास विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि.
2. प्रमाणक/रजिस्ट्रीकरण/निगमन की प्रमाणित प्रतिलिपि
3. विगत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा अंकेक्षित तुलनपत्र.
4. स्वामित्व के सबूत के रूप में कुल उपलब्ध भूमि के हक विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि.
5. उपबंध स्थलों की क्षेत्रीय योजना की प्रमाणित प्रतिलिपि उनके भूखण्ड उपयोग दर्शाते हुए.
6. विद्यमान चिकित्सालय के स्वामित्व का सबूत
7. संबंधित राज्य सरकार/संघ द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि.

F. 10-64-2005-I.V-ME-1.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Madhya Pradesh Sah-Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No.1 of 2001), the State Government hereby makes the following rules for fixing norms and guidelines for establishment in the State of Madhya Pradesh Sah-Chikitsiya Shikshan Sansthan, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Paramedical Education (Norms and guidelines for Establishment of Paramedical Institutions) Rules, 2007.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) 'Act' means the Madhya Pradesh Sah-Chikitsiya Parishad Adhiniyam, 2000 (No.1 of 2001);

(b) 'Appendix' means appendix appended to these rules ;

(c) 'Parishad' means the Madhya Pradesh Sah-Chikitsiya Parishad established under section 3 of the Act.

3. **Eligibility Criteria.**—The following organization shall be eligible to apply for permission to establish new sah-chikitsiya shikshan sansthan :

(a) University of any state or Union territory.

(b) Autonomous bodies promoted by Central Government or State Government.

(c) Societies registered under the Societies Registration Act, 1860 (No.21 of 1860) or registered under any corresponding laws for the time being inforce in the state and applicable in this respect.

(d) 'Public, religious or Charitable trusts' registered under Indian Trusts Act, 1882(No.21 of 1882) or Wakf Act, 1954 (No.29 of 1954).

4. **Qualifying Criteria.**— The eligible organization shall abide by the provisions of the Act and regulations made hereunder and amended from time to time. The organization shall qualify to apply for permission to establish a new Sah Chikitsiya Shikshan Sansthan subject to the fulfillment of the following terms and conditions :—

(a) That the Paramedical education is one of the main objectives of the applicant.

(b) That the applicant must owns on his own name half acre land in urban area or one acre land in rural area for three or more than three courses on which the applicant should have five to seven thousand square feet Constructed building. The applicant institutions who have their own hospital in accordance with the provisions of the concerned Act and the rules made thereunder but do not have land according to the prescribed norms in these rules, the applications of such institutions may be considered and the institutions may be permitted with the condition that they shall arrange the prescribed land in confirmation of rule 4(b) within one year from the date of obtaining the permission.

(c) That the essentiality certificate regarding the desirability and feasibility of having the proposed Sansthan at the proposed location has been obtained, and a certificate has been obtained from the State Government or Union Territory Administration or the collector of the district to the effect that adequate clinical material is available according to the requirement of the proposed courses.

(d) That the consent of affiliation for the proposed Sansthan has been obtained from the recognized University for the proposed courses.

(e) (i) That the applicant owns and manages a hospital of not less than 100 beds (for degree and diploma courses) or 50 beds (for maximum three certificate courses) with necessary infrastructural facilities and capable for being developed into teaching institution as prescribed by the Parishad, and which is in the vicinity of proposed Sansthan.

(ii) That where the applicant has arranged minimum 50 beds hospital, for three para medical certificate courses, the application for permission of such applicant may be considered and permitted after being satisfied.

(iii) That the institution which wishes to conduct Para-Medical Courses in any district except the district of Divisional. Head quarter and has obtained affiliation from District Hospital, the application for permission may be considered on the basis of maximum four institutions in each district and two institutions in the Tahsil and Block and have been recognized by the district Hospital/Health Centre.

(f) That the applicant has a feasible and time bound programme to set- up the Sansthan along with required infrastructural facilities including adequate hostel facilities for boys and girls as prescribed by the council which commensurate with the proposed intake of students so as to complete the Sansthan within a period of four years for degree, two years for diploma and one year for certificate courses from the date of grant of such permission.

(g) (i) The Sah Chikitsiya Shikshan Sansthan shall admit students only after the Parishad is satisfied about infrastructural and other facilities for starting such courses.

(ii) If in future the recognition of any Sansthan is withdrawn on any ground then the Parishad shall have the right to transfer the students of such Sansthan to any other recognized Sansthan.

(h) That the applicant has the necessary managerial and financial capabilities to establish the proposed Shikhan Sansthan and its ancillary facilities like teaching staff etc.

(i) That the applicant institution along with application shall provide three years audit report of the chartered Accountant regarding its financial position.

(j) That the applicant shall submit a bank guaranteë of rupees three lacs for one to three courses, five lacs for one to ten courses and for more than ten courses in addition to five lacs, at the rate of two lacs for each additional course for all subjects in favour of the Parishad, for fulfillment infrastructural, teaching and other norms fixed by the Parishad. If the Parishad is of the opinion that the institution is not working as per rules, then the bank guarantee submitted by the institution shall be forfeited to by the Parishad

Exception.—The above condition shall not apply to applicants who are State Government provided they shall give an undertaking to provide funds in their budget regularly and give grant-in-aid till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them).

5. **Forms and Procedures.**—Subject to the fulfillment of the eligibility criteria and qualifying criteria, the application for permission to establish a new Para-Medical Educational Institution shall be submitted by the applicant in the following three parts :—

PART—A

Part -A—The application (Appendix) shall contain the following particulars of the applicant and information regarding desirability and prima facie feasibility of setting up an educational institution at the proposed location :—

(i) Information regarding constitution of applicant's organization within the terms of reference of eligibility criteria;

(ii) Information regarding basic infrastructural facilities, managerial and financial capabilities of the applicant; and

(iii) Information regarding availability of necessary certificates and consents as prescribed in the qualifying criteria.

PART—B

Part-B—of the application shall contain detailed description of the scheme to set-up a new Paramedical Education Institution and shall also contain a "Detailed Techno-Economic Feasibility Report" along with the following particulars, namely :—

(a) Name and address of the institution;

(b) Market survey and environmental analysis including National and Regional Educational Policy need, availability of trained paramedical man power and prima facie feasibility of establishing a new paramedical educational institution at the proposed location.

(c) Site Characteristics and availability of external linkage including topography, plot size, permissible floor space index, ground coverage, building height, road access, availability of public transport, electric supply, water supply, sewage connection and telephone line etc.

(d) Educational programme, including intake of students, admission criteria and method of admission course-wise, subject-wise proposed number of seats and year wise curriculum of studies.

(e) Functional programme including department wise, service wise, functional requirement, area distribution and room wise seating capacity.

(f) Equipment programme which includes room wise list of medical, scientific and allied equipment and complete schedule of quantities and their specification.

(g) Manpower programme which includes department wise availability of fulltime teaching staff, technical, administrative and ancillary staff categorywise recruitment criteria and salary structure.

(h) Planning and layout: Master plan of the educational institution, layout plans, sections elevations and floor wise area calculations of the institution and ancillary building etc.

(i) Month wise schedule of activities indicating commencement and completion of building, local body approval, Civil Construction and equipment.

(k) Project cost which includes capital cost of land, building, plants and Machinery, Medical, Scientific and allied equipment, furniture and fixtures and preliminary and pre-operative expenses.

(l) Means of financing the project, which includes contribution of the applicant, and grants, donations, loan received and other sources, if any.

(m) Revenue assumption which includes fee structure, and estimated annual revenue from various other sources.

(n) Expenditure assumption which includes operating expenses and depreciation and

(o) Operating result which includes income statement, cash flow statement and balance sheet.

Part—C

Part -C—of the application shall contain detailed description of the existing hospital and proposed expansion scheme to upgrade the hospital or to set-up an additional hospital or both to coincide with the proposed educational institution and shall also contain 'Detailed Techno-Educational Feasibility Report' about the expansion scheme along with the following information :—

(a) Name and address of the existing hospital.

(b) Details of the existing hospital, which includes, bed strength, built-up area; clinical and Para-clinical disciplines, bed distribution, architectural plans and layout plans, list of Medical equipment and allied equipment, administrative and other ancillary or supporting services and category wise staff strength etc.

(c) Details about the additional land for expansion or for setting-up new hospital including land particulars, distance from the proposed educational institution, plot size, authorized land usage, soil condition, road access availability of public transport, electric supply, water supply, sewage connection, telephone lines etc.

(d) Up-graded medical programme which includes additional clinical and Para-clinical disciplines envisaged under the expansion scheme.

(e) Up-graded functional programme which includes specialty-wise and service wise functional requirements and area distribution and specialty wise bed distribution.

(f) Building programme which includes details of additional built-up area of hospital, staff housing, hostel of students and other ancillary buildings.

(g) Planning and layout which includes upgraded master plan of the hospital complex or master plan of the proposed new hospital as the case may be, along with layout plans, sections, elevations and floor wise area calculation of the hospital and ancillary buildings.

(h) Details of upgradation or addition in the capacity, configuration of services and hospital services.

(i) Upgraded Equipment programme which includes up-graded room-wise list of medical and allied equipment, schedule of quantities and specifications.

(j) Upgraded manpower programme which includes category wise distribution of medical, paramedical and other staff.

(k) Expansion scheme which includes month wise Master Schedule of activities indicating commencement and completion of building, local body approval, civil construction, provision of medical and allied equipment, recruitment of staff commensurate with the development of proposed educational institution.

(l) Project cost of expansion scheme which includes additional cost of land, building, hospital services, medical and allied equipment, furniture and fixture and preliminary and pre-operative expenses.

(m) Means of financing the cost of expansion scheme which includes contribution of applicant and grants, donations, loans received and other sources, if any.

(n) Revenue assumption which includes details of income from various procedures and services, upgraded service loads and annual revenue.

(o) Expenditure assumptions which includes operating expenses and depreciation, and

(p) Operating result which includes Income Statements, Cash flow statement, and balance sheet.

6. **Application Fee.**—The application shall be submitted by registered post only to the Registrar, Madhya Pradesh Sah Chikitsiya Parishad, Bhopal along with a non-refundable application fee,—

(i)	Rupees fifty thousand	-	For post graduation course.
(ii)	Rupees twenty five thousand	-	For degree course
(iii)	Rupees fifteen thousand	-	For Diploma Course
(iv)	Rupees ten thousand	-	For certificate course (per certificate)

In the form of demand draft/pay order in favour of Madhya Pradesh Sah Chikitsiya Parishad, Bhopal, payable at Bhopal.

The fee is for registration, Technical security contingent expenditure and for the inspections / evaluation of the examination at the end of each professional examination. Beyond one inspection, normal inspection fee as may be prescribed by the Parishad, shall apply. If the inspection of the institution is not done before starting educational session by the Inspection committee directed by the Parishad / State Government then after deducting 10% amount from the fee deposited by the institution, the remaining amount of fee shall be considered to be refunded on the request of the Institution.

7. **Registration.**—(1) Application found complete in all respect shall be registered by the Madhya Pradesh Sah Chikitsiya Parishad. Registration of the application will only signify the acceptance of the application. It will, however, under no circumstances, means approval of the application for grant of permission.

(2) The period of one year prescribed under the Madhya Pradesh Sah Chikitsiya Parishad, Adhiniyam, 2000 (No.1 of 2001) for processing of an application for setting up of a new Para medical education institution will commence from the date of registration of the application by the Parishad.

(3) Incomplete applications shall not be registered and shall be returned to the applicant along with enclosures and processing fee.

8. **Prescribed Period.**—In computing the time limit specified in rule 7 the time taken by the authorities and institutions submitting the scheme in furnishing any information clarification of additional documents called for by the Parishad shall be excluded.

9. **Evaluation.**—The Parishad shall evaluate Part A of the application in the first instance the desirability and prima facie feasibility of setting up the paramedical educational institution at the proposed location and shall also evaluate the capability of the applicant to provide the necessary sources and infrastructure for the scheme. The Parishad while evaluating each part of the application may seek further information/ clarification or additional documents from the applicant as considered necessary or may carry out physical inspection to verify the information.

10. **Grant of Permission.**—(1) The Parishad may issue letter of formal permission to set up new paramedical educational institution with the conditions of modification in the original proposal, as may be considered necessary. The formal permission may be granted only after the conditions are fulfilled and modification are accepted, carried out and Compliance of Submitting of Bank guarantee for the required sums are furnished by the applicant.

(2) The formal permission shall include time bound programme for the establishment of the paramedical educational institution and expansion of the hospital facilities. This permission shall also include a clear cut definition of preliminary requirement to be met in respect of building, infrastructural facilities, medical equipment, faculty and staff etc. before admitting the first batch of students. The permission shall also define annual targets to be achieved by the applicant in respect of intake of students during the succeeding years.

(3) The aforesaid permission to establish a new paramedical educational institution and to admit students shall be granted initially for a period of one year and may be renewed on yearly basis subject to verification of the achievements of annual target and revalidation of the performance of Bank guarantees. This process of renewal of permission shall continue till the establishment of the paramedical educational institution and expansion shall continue till the establishment of the paramedical educational institution and expansion of the hospital facilities are completed and a formal recognition of the institution is granted by the Parishad.

(4) Further admissions are liable to be stopped at any stage unless the requirements for various steps of development are completed to the satisfaction of the Parishad.

(5) The Parishad may obtain any other information as it may deem fit and necessary.

11. **Repeal and Saving.**—The Madhya Pradesh Paramedical council (Establishment of Paramedical Institutions Guide lines) Regulations 2001 is hereby repealed:

Provided that any action taken or order passed the Regulations to repealed shall be deemed to have been taken or passed under the corresponding provisions of these rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव

APPENDIX

Application for Permission to establish a new paramedical Educational Institution

[See Section 23(2) (1) of the Act]

1. Name of the Applicant (in block letters) S/o. _____
2. Address (in block Letters) _____
3. Registered Office (Number, street, City telephone, telex, Fax Number) _____
4. Constitution (State Government / U.T./University/ Autonomous Body/ Society/Trust) _____
5. Registration ! Incorporation (Number and Date) _____

List of Enclosures

1. Certified copy of Bye-laws Memorandum and Article of Association Trust Deed.
2. Certified copy of certification Registration / Incorporation.
3. Annual Report and Audited Balance sheet for the last 3 years.
4. Certified copy of the title deed of the total available land as a Proof of ownership.
5. Certified copy of the Zoning Plane of the available site Indicating their land use.
6. Proof of ownership of the Existing hospital.
7. Certified copy of the Essentiality Certificate issued by the respective State Government / Union.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-08-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2009—ज्येष्ठ 15, शक 1931

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2009

क्र. 1859-3143-07-1-पचपन.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1, सन् 2001) की धारा 23 की उपधारा (2) के खण्ड (झ) के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् (सह-चिकित्सीय संस्थाओं की स्थापना हेतु मापक तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में खण्ड 4 के उप-खण्ड (ग) का लोप किया जाए.

No. 1859-3143-07-1-LV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 46 read with clause (i) of sub-section (2) of Section 23 of the Madhya Pradesh Sah-Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Paramedical Council (Establishment of Paramedical Institution-Guidelines) Regulation, 2007, namely :—

AMENDMENT

In the said Regulation in Clause 4, sub-clause (C) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजया श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009

परिषद की विषय अनुसूची में सम्मिलित पाठ्यक्रमों एवम् पाठ्यक्रम संचालन हेतु
आवश्यक भवन, मापदण्डों का विवरण

S.NO.	SUBJECT	PEROID	Building (Sq.ft.)
01	a. Physiotherapy b. Occupational Therapy c. B.P.T. (Ortho, Sports, Neuro, Obst. & Gynac, Paediatrics)	4-1/2 Years Degree 4-1/2 years Degree 2 Years P.G.	16,500 16,500 3,000
02	Speech Therapy	1 Year + 4-1/2 years Degree = Total	16,500
03	Audiologist	1 Years M.Sc.	1,600
04	Laboratory Technician (Various Type) a. Pathology b. Blood Transfusion b. Anesthesia d. Respiratory Technician	1 Year + 1 Year + 2 Years + 2 Years = Total	6400
05	a. CT MRI Technician b. X-Ray Radiographer Technician	1 Year Certificate + 2 Years Diploma + 3 years Degree = Total	4,800 3,500
06	B.C.G. Technician	1 Year	1,600
07	Cyto-Technician	1 Year	1,600
08	Ortho-Technician	1 Year	1,600
09	Mould Room Technician (Syllabus not Ready)		
10	Gamma Camera Technician/Radiotherapy Technician	2 Years	3,200
11	Orthotic Technician (this course is not needed now)		
12	Optometrist Refraction	2 Years	4,800
13	Optometrist Contact lenses	2 Years	1,600
14	ECG Technician	1 Year	1,600
15	Ultra Sound Technician	1 Year	1,600
16	Angiography Technician	1 Year	3,200
17	Operation Theatre Technician	1 Year	3,200
18	Human nutrition	2 Years Diploma (Total) 3 years Degree	4,000 3,200 3,200
19	Dialysis Technician	2 Years Diploma	
20	Insulation Therapy Technician (Syllabus could not be prepared)	----------	
21	Health Inspector	1 Year	3,200
22	Hospital Medical Record Science	2 Years	3,200
23	a. Compouder (Allopathic) (Closed) b. Compouder (Ayurvedic) c. Compouder (Unani)	2 Years Diploma 1 Year 1 Year	3,200 3,200 3,200
24	Compouder (Homoeopathy & Biochemistry)	1 Year	4,800
25	Diploma in Clinical Biochemistry	2 years	2,600
26	Microbiology	2 years	4,000
27	Pathology	2 years 3 years	4,800
28	Optometric-Refraction	2 years	1,600
29	Paramedical Ophthalmic Assistant	2 years	1,600
30	Per fusionist/Cardiac Surgery Technician	2 years 1 year 2 years	1,600
31	Cath Lab Technician		4,800
32	Naturopathy	1 Year 2 Years 3 Years	3,000 4,800
33	Yoga	1 Year 2 Years 3 Years	4,000

34	Health Inspector	2 Years	
35	Pesticides Diploma in Applied Pharmacy (Hospital Services)	2 Years	
36	Panchkarma Technician	1 Year	
37	Multipurpose Health Worker (Male)	1 1/2 Years	2,400
38	Dental Mechanics	1 Year	3,200
39	Dental Hygiene	1 Year	
		TOTAL	1,78,300

नोट :– सरल क्र. 9, 11, 20, 23(a), 37 तीन शह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम वर्तमान में संचालित नहीं है।